नोव्हेंबर २०२२
हर महिने के १०/११ तारीख को शाया (प्रसिद्ध) होता है।

शुमारा हदिया : २५ /-

- संस्थापक
  हाजी ए.आय.मुजावर
- संपादिका
  प्रो. शाहीन निजामुद्दीन मुल्ला
  ७८४१९३७३९३
- मांडणी सजावट
  रेहान ग्राफीक्स, सांगली.
  ९९२३४३७३६७

दिन-दुनिया की मालूमात को कामयाबी की ओर ले जानेवाला इस्लामी माहनामा (डायजेस्ट)

मुस्तफा

स्व.अ.स

* साल १५ * शुमारा ११ * रबीउल आखिर * हिजरी १४४४

ध्यान से पढीए

सालाना मुल्य केवल २५०/- रू.
(सालाना विशेषांक के साथ)

- सालाना मेम्बरशीप इधर-उधर किसी नाम पे मत भेजिए।

मुस्तफा लाईफटाईम मेंबरशीप ४०००रू/-

इस बैंक खातेपर कहींसे भी फिस जमा कर सकते है -
* सालाना मेम्बरशीप फिस रू. २५०/-
नैशनलाईज बँक के चेक पर
SBI A/c No.20240440743
IFSC COD : SBIN0008234
Google Pay No. 7841937393

• आईना •

१) कुरआन के बारे में अकीदा.....७
२) करिअरनामा.....९
३) अच्छे अख्लाक की बरकतें.....१०
४) गैर इस्लामी अख्लाक.....१३
५) घरेलू जिन्दगी कामयाब.....१६
६) इस्लाम महिलाओं के.....१८
७) हुजूर(स्व0) से खिताब.....२०
८) स्कॉलरशिप अपडेट.....२२
९) माहवारी के अहकाम.....२६
१०) अच्छे रिश्ते.....३२

संस्थापक:
ए. आय. मुजावर, संपादक - मुस्तफा
५७९, सिव्हील हॉस्पिटल रोड, साऊथ शिवाजीनगर, सांगली.

- : खतो - किताबात का पता : -

संपादिका:
प्रो. शाहीन निजामुद्दीन मुल्ला
५९८, सिव्हील हॉस्पिटल रोड, साऊथ शिवाजीनगर, सांगली.
email : mustafathemagazine@gmail.com , 7841937393

मुस्तफा में छपनेवाली कुरआने करीम की आयतें और अहादीसे नबवी स0 चाहे वह अस्ल हो या तर्जुमा, अपनी दीनी मालुमात में इजाफे के लिए छापी जाती है, इसीलिए उनका एहतराम आपपर फर्ज है । लिहाजा मुस्तफा के अंको और पन्नोंको बेहुरमती से महफूज रखिए ।

बीस(२०)अहम नसीहतें

१. क्रियामत उस वक्त आएगी जब जमीन पर कोई अल्लाह का नाम लेनेवाला न होगा।

२. जब बन्दा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फ़रिश्ते एक मील दूर हट जाते हैं।

३. अल्लाह की याद और अमल सालेह (नेक अमल) के लिए नीयत लाज़िम है।

४. ज़रूरत की एक हद है, मगर हिर्स (लालच) की कोई हद नहीं।

५. बहादुरी यह है कि कमजोर होने के बावजूद दूसरों को अपनी कमजोरी का एहसास मत होने दो।

६. कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि कामयाबी हासिल करने का एहसास दिल में जिंदा रखा जाए।

७. मुंजमिद लोगों का सहारा मत लो वरना वे तुम्हें भी मुंजमिद कर देंगे।

८. अल्लाह वाले बात–बात पर तकलीफ़ का इज़हार नहीं करते।

९. जिसका कोई मक्सद नहीं उसकी कोई मंजिल नहीं।

१०, सख्तियाँ इंसान को ताक़तवर बना देती हैं, अगर इंसान को सब्र करने की ताक़त हासिल हो।

११. शख्सियत की नशो नुमा उस वक़्त रुकती है जब इंसान अपने आपको कामिल समझता है।

१२. कोशिश तुम्हारा काम है और नतीजा निकालना ख़ुदा का काम है।

१३. शैनी इंसान के दिल में चुपके से पैदा होती है, उसे बर्बाद कर देती है और उसे पता भी नहीं चलता।

१४. तुम जिस काम की ज़िम्मेदारी उठाओगे तुम्हारा ज़ेहन उसके लिए ही काम करेगा।

१५. दुनिया में जिल्लत की हज़ारों सूरतें हैं, लेकिन उनमें से ज़िल्लते कर्ज सबसे सख्त–तर है।

१६. तुम्हारा क़र्ज़ ख़्वाह तुम्हारी सेहत चाहेगा और तुम्हारा मकरूज़ (कर्जदार) तुम्हारी मौत।

१७. बीमार तो सो भी जाता है, मगर मक़रूज़ को नींद नहीं आती।

१८. अक्लमंद वह है जो कम बोले और ज़्यादा सुने।

१९. जो शख्स इल्म रखता है लेकिन अमल नहीं करता, वह उस मरीज़ के मानिन्द है जो दवा तो रखता है, इस्तेमाल नहीं करता।

२०. अपनी ज़रूरत को महदूद कर लेना ही बड़ी दौलत है।

अच्छाई का जज्बा

हज़रत मअकिल बिन यसार रजि० फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल स०अ० को इरशाद फरमाते हुए सुनाः अल्लाह तआला जिस बन्दे को किसी कौम का जिम्मेदार बनाता है, लेकिन वह उस कौम के साथ भलाई का मामला नहीं करता है, तो ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। (बुख़ारी) ये हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी कौम का ज़िम्मेदार चुना जाये, लेकिन वो उनके साथ भलाई का मामला न करे, तो ऐसा व्यक्ति कयामत के दिन जन्नत की खुशबू से भी वंचित रहेगा। इसीलिये आप स०अ० ने ऐसे शासक से अल्लाह की पनाह मांगी है जो अपनी प्रजा के साथ न्याय का मामला न करता हो, आप स०अ० ने फरमायाः (ऐ अल्लाह! तू हम पर हमारे गुनाहों की वजह से ऐसे व्यक्ति को हाकिम न बनाना जिसके अन्दर न तेरा डर हो और न ही हमारे साथ रहम का भाव हो) यद्यपि अगर कोई ऐसा हाकिम हो जो लोगों के साथ न्याय का मामला करता हो, लोगों के साथ हर मामले में भलाई से पेश आता हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप स०अ० ने फ़रमायाः जब कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस दिन सात तरह के लोग अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, उन्हीं में से एक इन्साफ करने वाला ईमानवाला हाकिम भी होगा। मालूम हुआ कि हर ज़िम्मेदार इन्सान अपने अधीन लोगों के साथ भलाई का मामला करना चाहिये और यूं भी दीन–ए–इस्लाम में हर व्यक्ति के साथ भलाई याचित है। यही वजह है कि कुरआन मजीद में नबी के तजकिरे के साथ उनका शुभचिन्तक होना भी बताया गया है, ताकि इसके महत्व को समझा जा सके। इसीलिये आप स०अ० ने इरशाद फ़रमायाः दीन सम्पूर्ण नसीहत है, जिससे बात साफ हो जाती है कि हर इन्सान को दूसरे इन्सान के साथ अच्छाई और भलाई का बर्ताव करना चाहिये।

भलाई का अर्थ ये है कि इन्सान अल्लाह के बताए हुए हुक्मों को पूरा करे, अल्लाह के रसूल स०अ० के बताए हए तरीकों पर चलने वाला हो, लोगों के साथ अच्छे से पेश आता हो, अगर वो शासक है तो अपनी प्रजा के साथ हमदर्दी व नर्मी का मामला करता हो, किसी पर जुल्म न करता हो, लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो, गम के मौके पर लोगों का साथ देता हो, इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति शासन का प्रतिनिधि हो, तो उसकी भलाई ये है कि वो संसद में ऐसे उपाय रखने का प्रयास करता हो जिनसे लोगों की भलाई जुड़ी हुई हो, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति औलाद वाला है तो उसकी भलाई ये है कि वह अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जो उसके बच्चों को दुनिया में भी फायदा दे और आखिरत की नेकी का भी जरिया बने और खुद उसके इन्तिकाल के बाद उसका यही काम उसके लिये भी अज्र व सवाब का कारण बन सके। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो उसकी भलाई ये है कि वह आने वाले मरीज़ का इलाज मखलूक की खिदमत की नियत से करे,और इस काम को केवल पैसा कमाने का ज़रिया न बनाए, इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आलिम है और लोग उसके पास अपने मसले को लेकर आते हैं तो उनके साथ भलाई ये है कि वह उनके मसलों को पूरे इखलास के साथ हल करे, उनको फायदेमन्द मश्वरे दे, इसी तरह अगर कोई गुमराही के रास्ते पर पड़ा हुआ है, तो उसके साथ भलाई ये है कि उसको सीधा रास्ता दिखाया जाये, मानो ये कि भलाई से मुराद शरीअत के दायरे में रह कर इन्सान का हर उस काम को पूरा करना है जिसके अन्दर दूसरों के लिये भलाई जुड़ी हो।

से ये समझा जा सकता है कि किसी भी देश की उन्नति के लिये, समाज में भाईचारे व मुहब्बत के वातावरण को आम करने के लिये हर इन्सान के अन्दर भलाई करने का भाव होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिये रसूलुल्लाह स०अ० ने हर मौके पर भलाई की शिक्षा दी है।

नमाज की अहमियत

कामयाबी की सबसे पहली शर्त और कामयाबी का सबसे पहला रास्ता यह है कि इन्सान न सिर्फ नमाज़ पढ़े बल्कि नमाज़ में खुशूअ अख्तियार करे, क्योंकि नमाज़ ऐसी चीज़ है कि कुरआन करीम में अल्लाह तआला ने ६२ से ज्यादा जगहों पर इसका हुक्म दिया। हालांकि अगर अल्लाह तआला एक बार हुक्म दे देते तो भी काफी था, लेकिन नमाज के बारे में ६२ बार हुक्म दिया कि नमाज़ कायम करो, इसके जरिए इस हुक्म की अहमियत बताना मकसूद है कि नमाज़ को मामूली काम मत समझो और यह न समझो कि यह रोजमर्रा की रूटीन की एक मामूली चीज़ है।

आजकल हमारे समाज में एक गुमराही फैल गई है, वह यह है कि लोगों के दिमाग में यह बात आ गई है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो नमाज से ज्यादा अहमियत रखते हैं, खास तौर पर यह बात उन लोगों के अन्दर पैदा हो गई है जो दीन के काम में लगे हुए हैं, सियासत का काम कर रहे हैं, यह लोग यह समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लिहाजा चूंकि हम बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए अगर कभी इस बड़े काम की खातिर नमाज छूट गई या नमाज में कमी आ गई या कोई नक्स वाकेअ हो गया तो कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि हम उससे बड़े काम में लगे हुए हैं, इसलिए अगर हमारी जमाअत छूट जाएगी तो हम घर में नमाज़ पढ़ लेंगे और अगर नमाज का वक्त निकल गया तो कजा पढ़ लेंगे,याद रखिए! यह बड़ी गुमराही वाली सोच है। हजरत उमर (रजि०) से ज्यादा दीन का काम करने वाला कौन होगा? उनसे बड़ा सियासत जानने वाला कौन होगा? उनसे बड़ा जिहाद करने वाला कौन होगा? उनसे बड़ा दायी और उनसे बड़ा मुबल्लिग कौन होगा? लेकिन वह अपने तमाम फरमा रवाओं को बाकायदा यह फरमान जारी कर रहे हैं कि मेरे नज़दीक तुम्हारे सब कामों में सबसे अहम चीज़ नमाज़ है। अगर तुमने उसकी, हिफाजत की तो तुम्हारे और भी काम ठीक होंगे और अगर उसको जाया कर दिया तो तुम्हारे और काम भी खराब होंगे। तुम अपने आप को काफिरों पर कयास मत करना, गैरमुस्लिमों पर कयास मत करना और यह मत सोचना कि गैर मुस्लिम भी तो नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं, मगर तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में उनका डंका बज रहा है, खुशहाली उनका मुकद्दर बनी हुई है और दुनिया के अन्दर उनकी तरक्की के तराने पढ़े जा रहे है।

याद रखो! तुम अपनेआप को उन पर कयास मत करना, अल्लाह ने मोमिन का मिज़ाज और मोमिन का तरीका–ए–ज़िन्दगी काफ़िर के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ़ करार दिया है, कुरआन करीम का कहना है कि मोमिन को कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक वह उन कामों पर अमल न करे जो बयान किए गए हैं और उनमें सबसे पहला काम नमाज़ है।

वडगांवकर क्लिनीक

फिजीशियन,सर्जन व आयुर्वेद कन्सलटंट

डॉ. आरिफ एस. मोमीन
B.A.M.S (CCH, CGO)
Reg. No 158800-A-1

डॉ. सौ. अंजुम ए. मोमीन
B.A.M.S (CCH,CGO)
Reg. No. 168235-A

वंध्यत्व,शुक्रजंतूची कमतरता, शुक्रजंतूची हालचाल कमी असणे, एक मूल आहे त्यानंतर प्रेगनन्सी राहत नाही, संबंध ठेवताना येणाऱ्या अडचणी, मासिक पाळीच्या तक्रारी, शीघ्रपतन, प्रसव व प्रसवनंतर योग्य सल्ला व उपचार, लहान मुलांची खत्ना (मुंज),
उपलब्ध सुविधा: ई.सी.जी, ग्लुकोमीटर, फीटल डॉप्लर

पेठभाग, वाळवा, जि. सांगली. मोबा. 9970530505

तआरुफ़े कुरान मजीद के सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि कुरान हकीम के बारे में हमारा ईमान, या इस्तलाहे आम में हमारा अक़ीदा क्या है?

कुरान हकीम के मुताल्लिक़ अपना अक़ीदा हम तीन सादा जुमलों में बयान कर सकते हैं:

१) कुरान अल्लाह का कलाम है।

२) यह मुहम्मद रसूल अल्लाह स्व० पर नाज़िल हुआ है।

३) यह हर ऐतबार से महफूज है, और कुल का कुल मन व अन मौजूद है, और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तआला ने लिया है।

यह तीन जुमले हमारे अकाइद की फेहरिस्त के ऐतबार से, कुरान हकीम के बारे में हमारे अक़ीदे पर किफ़ायत करेंगे। लेकिन इन्हीं तीन जुमलों के बारे में अगर ज़रा तफ़्सील से गुफ़्तगू की जाये और दिक़्क़ते नज़र से इन पर गौर किया जाये तो कुछ इल्मी हक़ाइक सामने आते है। तम्हीदी गुफ़्तगू में इनमें से बाज़ की तरफ़ इज्मालन इशारा मुनासिब मालूम होता है।

(१) कुरान : अल्लाह तआला का कलाम सबसे पहली बात कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, खुद कुरान मजीद से साबित है। चुनाँचे,सूरतुल तौबा की आयत ६ में अल्लाह तआला ने नबी अकरम से फ़रमाया: ''और अगर मुशरिकीन में से कोई शख़्स पनाह माँग कर तुम्हारे पास आना चाहे (ताकि अल्लाह का कलाम सुने) तो उसे पनाह दे यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह दो।''

जब सूरतुल तौबा की पहली छः आयात नाज़िल हुईं, जिनमें से मुशरिकीने अरब को आख़िरी अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर तुम ईमान न लाये तो चार माह की मुद्दत के खात्मे के बाद तुम्हारा क़त्लेआम शुरू हो जायेगा, तो इस ज़िमन में नबी अकरम स्व० को एक हिदायत यह भी दी गई कि यह अल्टीमेटम दिये जाने के बाद अगर मुश्रिकीन में से कोई आप की पनाह तलब करे तो वह आप स्व० के पास आकर मुक़ीम हो और कलाम अल्लाह को सुने, जिस पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है, फिर उसे उसकी अमन की जगह तक पहुँचा दिया जाये। यानि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहीं उससे मुतालबा किया जाये कि फैसला करो कि या तुम ईमान लाते हो या नही। इस वक़्त मैंने इस आयत का हवाला सिर्फ़ कलाम अल्लाह के अल्फ़ाज़ के लिये शहादत के तौर पर दिया है।

कलामे इलाही : जुमला सिफ़ाते इलाहिया का मज़हर कुरान मजीद के कलाम अल्लाह होने में ही इसकी असल अज़मत का राज़ मज़्मर है। इसलिये कि कलाम मुतकल्लिम की सिफ़त होता है और उसमें मुतकल्लिम की पूरी शख़्सियत हवीदा होती है। चुनाँचे आप किसी भी शख़्स का कलाम सुन कर अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके इल्म और फ़हम व शऊर की सतह क्या है। या वह तालीम याफ़्ता इंसान है, महज़ब है, मुतमदन है या कोई उजड्ड गँवार है। इस ऐतबार से दरहक़ीक़त यह कलाम अल्लाह, अल्लाह तआला की जुमला सिफ़ात का मज़हर है, इसी हक़ीक़त को अल्लामा इक़बाल ने (जो बात मेरे दिल में छपी हुई है वह मैं साफ़–साफ़ कह देता हूँ कि यह (कुरान हकीम) किताब नहीं है, कोई और ही शय है। चुनाँचे यह हक़ तआला की ज़ात के मानिंद पोशीदा भी है और ज़ाहिर भी है। नेज़ यह हमेशा ज़िन्दा और बाक़ी रहने वाला भी है और यह कलाम भी करता है। मुख़्तलिफ़ मफ़ाहीम व मायने के लिये इस शेर का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन क़ाबिले गौर बात यह है कि इसमें इसके चीज़े दीगर होने का कौनसा पहलू उजागर किया जा रहा है। इसमें दर हक़ीक़त सूरतुल

हदीद के उस मुकाम की तरफ़ इशारा हो गया है कि: (आयत ३) अल्लाह तआला की शान यह है कि वह अव्वल भी है और आखिर भी, वह जाहिर भी है और बातिन भी। इसी तरह अल्लामा कहते हैं कि इस कुरान की भी यही शान है। नेज़ जिस तरह अल्लाह तआला की सिफ़त अल हय्यु अल कय्युम (आयतल कुर्सी, सूरतुल बक़रह) है इसी तरह यह कलाम भी ज़िन्दा व पाइन्दा है, हमेशा रहने वाला है। फिर यह सिर्फ कलाम नहीं, ख़ुद मुतकल्लिम (बात करने वाला) है। यहाँ कलाम और मुतकल्लिम के माबैन (दर्मियान) फर्क के हवाले से मुतकल्लमीन कि उस बहस की तरफ़ इशारा करना ज़रूरी मालूम होता है कि ज़ाते हक़ की सिफ़ात, ज़ात से अलैहदा और मुस्तज़ाद हैं या ऐन ज़ात? अल्लामा इक़बाल ने भी अपनी मशहूर नज़्म इब्लीस की मजलिस-ए-शूरा में इस बहस का ज़िक्र किया है: यह इल्मे कलाम का एक निहायत ही पेचीदा, ग़ामज़ और अमीक़ मसला है, जिस पर बड़ी बहसें हुईं और बिलआख़िर मुतकल्लमीन का इस पर तक़रीबन इज्माअ हुआ कि यानि अल्लाह की सिफ़ात को ना उसकी ज़ात का ऐन करार दिया जा सकता है ना उसका गैर। अगर इस हवाले से गौर करें तो कुरान हकीम भी, जो अल्लाह तआला की सिफ़त है, इसी के जेल में आयेगा, यानि ना इसे अल्लाह का गैर कहा जा सकता है ना उसका ऐन।

चुनाँचे इस हवाले से सूरतुल हश्र की आयत २१ कुरान मजीद की फ़ी नफ़्सी अज़मत के ज़िमन में अहम तरीन है: ''अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वह अल्लाह तआला की खुशियत और ख़ौफ से दब जाता और फट जाता, और यह मिसालें हैं जो हम लोगों के लिये बयान करते हैं ताकि वह गौर करें।''

इस तम्सील को सूरतुल आराफ़ की आयत १४३ के हवाले से समझा जा सकता है जिसमें अल्लाह तआला की तलबी पर हज़रत मूसा अलै० के कोहे तूर पर हाज़िर होने का वाक़िया बयान हुआ है। यह वही तलबी थी जिसमें आप अलै० को तौरात अता की गयी। उस वक़्त अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलै० को मुखातब व मुकालमह से सरफ़राज़ फ़रमाया तो उनकी आतिशे शौक़ कुछ और भड़की और उन्होंने फ़रमाइश करते हुए कहा ऐ परवरदिगार! मुझे अपना दीदार अता फ़रमा। मुखातब व मुकालमह के शर्फ से तूने मुझे मुशर्रफ फ़रमाया है, अब ज़रा मज़ीद करम फ़रमा। इस पर जवाब मिला: (मूसा) तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते! लेकिन ज़रा उस पहाड़ की तरफ़ देखो, मैं उस पर अपनी एक तजल्ली डालूँगा। चुनाँचे अगर वह पहाड़ अपनी जगह पर कायम रह जाये तो फिर तुम भी गुमान कर लेना कि तुम मुझे देख सकोगे। फिर जब अल्लाह तआला ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली तो वह रेज़ारेज़ा हो गया और मूसा अलै० बेहोश होकर गिर पड़े। यहाँ के दोनों तर्जुमे किये जा सकते हैं, यानि रेज़ा-रेज़ा हो जाना, टूट-फूट कर टुकडे-टुकडे हो जाना, या कूट-कूट कर किसी शय को हमवार कर देना, बराबर कर देना। जैसे सूरतुल फ़जर की आयत २१ में इन मायनों में वारिद हुआ है। वही लफ़्ज़ यहाँ पहाड़ के बारे में आया है। यानी वह पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो गया या दब गया, ज़मीन के साथ बैठ गया। मूसा अलै० ने अल्लाह तआला की यह तजल्ली देखी जो बिलवास्ता थी, यानि बराहे रास्त हज़रत मूसा अलै० पर नहीं बल्कि पहाड़ पर थी और हज़रत मूसा अलै० बिलवास्ता उसका नज़ारा कर रहे है थे, लेकिन खुद हज़रत मूसा अलै० की कैफ़ियत यह हुई कि हज़रत मूसा (अलै०) बेहोश होकर गिर पड़े। यहाँ ज़ात व सिफ़ाते बारी तआला की बहस का एक अक़ीदा हल हो जाता है कि जैसे अल्लाह तआला ने अपनी ज़ात की तजल्ली पहाड़ पर डाली तो वह पहाड़ दब गया फट गया, रेज़ा-रेज़ा हो गया, इसी तरह कुरान मजीद के मुताल्लिक़ फ़रमाया: ''यानि कलाम अल्लाह की भी वही कैफ़ियत और तासीर है जो कैफ़ियत व तासीर तजल्लिये ज़ाते इलाही की है। इसलिये कि कुरान अल्लाह का कलाम और अल्लाह की सिफ़त है। तो तजल्लिये सिफ़ात और तजल्लिये ज़ात में कोई फ़र्क नही। अलबत्ता अल्लामा इक़बाल ने एक जगह इस बारे में ज़रा मुबालगा आराई से काम लिया। अल्लामा ने हुजूर स्व० की मदह फ़रमाते हुए यह अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये: अल्लामा इकबाल हज़रत मुहम्मद स्व० का हज़रत मूसा अलै० से तक़ाबुल कर रहे हैं कि वह तो तजल्लिये सिफ़ात के बिलवास्ता

नज़ारे ही से बेहोश होकर गिर गये, लेकिन ऐ नबी स्व० आपने ऐने ज़ात का दीदार किया और तबस्सुम की कैफ़ियत में किया। इसमें दो ऐतबारात से मुग़ालता पाया जाता है। अव्वल तो वह तजल्ली, तजल्लिये सिफ़ात नहीं तजल्लिये ज़ात थी जो हज़रत मूसा अलै० की फ़रमाईश पर अल्लाह तआला ने पहाड़ पर डाली। जैसा कि कुरान मजीद में है: ''गोया यहाँ अल्लाह तआला के लिये यह लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वह खुद मुतजल्ली हुआ। दूसरे यह कि यह ख्याल भी मुख्तलिफ़ फ़ेह है कि नबी अकरम ने शबे मेराज में ज़ाते इलाही का मुशाहदा किया। अगरचे हमारे असलाफ़ में यह राय भी है कि आप स्व० ने अल्लाह तआला को देखा है, लेकिन अकसर व बेशतर की राय इसके बरअक्स है, इसलिये कि वहाँ भी आयात का ज़िक्र है। जैसा कि सूरतुल नज्म (आयत:२१) में आया: '' इसमें कोई शक नहीं कि वह आयात, जो वहाँ हुज़ूर नबी अकरम स्व० ने देखीं, अल्लाह तआला की अज़ीम-तरीन आयात में से हैं।

''उस वक़्त बेरी पर छा रहा था जो कुछ कि छा रहा था। निगाह ना चुन्धियाई और ना हद से मुतजाविज़ हुई। और उसने अपने रब की बडी-बडी निशानियाँ देखी।''

अब उससे ज़्यादा बड़ी आयात और उससे ज़्यादा बड़ी तजल्लिये इलाही और कहाँ होगी? लेकिन दोनों ऐतबार से इस शेर में मुबालगा है। अलबत्ता इस आयते मुबारका के हवाले से अल्लामा के इस शेर में मेरे नज़दीक क़तअन कोई मुबालगा नहीं है। और इस आयत मुबारका के हवाले से वह बात कही जा सकती है जो अल्लामा इक़बाल ने इस शेर में कही है।

करिअर नामा

* भारती विद्यापीठ के तहत रिक्त पदों की भर्ती के लिए नौकरी अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के माध्यम से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी पदों की कुल १८ रिक्तियां भरी जाएंगी। उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। इंटरव्यू की तारीख १२ नवंबर २०२२ है।

Website: bvp.bharatividyapeeth.edu

* महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण जल्द ही कुछ रिक्तियों के लिए भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती फाइनेंशियल एडवाइजर, सीनियर लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, जूनियर लीगल एडवाइजर के पदों पर होगी। योग्य उम्मीदवारों को दिए गए ई-मेल आईडी पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि १० नवंबर २०२२ है।

Website: https://maharera.mahaonline.gov.in/

* होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र, मुंबई जल्द ही कुछ (नौकरी रिक्ति) के लिए भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के माध्यम से प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, इंजीनियर ट्रेनी, टेक्निकल ट्रेनी, क्लर्क ट्रेनी के पद भरे जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवारों को दिए गए पते पर सीधे साक्षात्कार में शामिल होना है। साक्षात्कार की तिथि ११, १५, १६, १७ और १८ नवंबर २०२२ (पदों के अनुसार) होगी।

Website: https://www.hbcse.tifr.res.in/

अच्छे अख़लाक की बरकतें

नबिय्ये करीम स्व० को जब येह खबर मिली कि नज्द (मौजूदा रियाज) के एक मशहूर बहादुर दुअसूर बिन हारिस मुहारिबी ने मदीने पर हमला करने के लिये एक लश्कर तय्यार कर लिया है, तो आप स्व० ने चार सौ (४००) सहाबए किराम रजि० की फ़ौज ले कर मुकाबले के लिये रवाना हो गए । दुअसूर को जब येह खबर मिली कि रसूले अकरम स्व० हमारे शहर में आ गए हैं, तो वोह भाग निकला और अपने लश्कर को ले कर पहाड़ों पर चढ़ गया मगर इस की फ़ौज का एक आदमी हब्बान गिरिफ़्तार हो गया और बारगाहे रिसालत में आ कर इस्लाम ले आया । इत्तिफ़ाक़ से उस दिन ज़ोरदार बारिश हो गई । रसूले करीम स्व० एक दरख्त के करीब अपने कपड़े सुखाने लगे। पहाड़ की बुलन्दी से गैर मुस्लिमों ने देखा कि सहाबए किराम रजि०, अपने अपने कामों में मश्गूल हैं और आप स्व० अकेले हैं, तो उन्हों ने दुअसूर को नबिय्ये करीम स्व० पर हमला करने के लिये उभारा । दुअसूर यह जुम्ला अगर मैं मुहम्मद स्व० को क़त्ल न कर सका, तो अल्लाह मुझे क़त्ल कर दे कहते हुवे तलवार ले कर रसूले अकरम स्व० की तरफ़ बढ़ा, हत्ता कि आप

स्व० के सरे मुबारक पर तलवार बुलन्द कर के बोला : अब मुझ से आप को कौन बचाएगा ? आप स्व० ने इरशाद फ़रमाया : अल्लाह करीम मुझे तुझ से बचाएगा । इतना कहना था कि हज़रते जिब्रीले अमीन फ़ौरन ज़मीन पर उतरे और दुअसूर के सीने पर ऐसा घूसा मारा कि तलवार उस के हाथ से छूट कर गिर पड़ी। रसूले करीम स्व० ने फ़ौरन तलवार उठा ली और फ़रमाया : अब मुझ से तुझे कौन बचाएगा ? दुअसूर ने कहा : मुझे आप से कोई भी नहीं बचा सकता । नबिय्ये अकरम स्व० को उस की बेकसी पर रहम आ गया । आप ने न सिर्फ उस का कुसूर मुआफ़ फ़रमा दिया बल्कि उस की तलवार भी उसे वापस लौटा दी । दुअसूर आप स० के अख़्लाके करीमाना से इस क़दर मुतअस्सिर हुवा कि कलिमा पढ़ कर उसी वक्त मुसलमान हो गया और अपनी कौम में आ कर इस्लाम की दावत देने लगा।

''तेरे अख़्लाक़ पर कुरबा, तेरे औसाफ़ पर वारी मुसलमां क्या, अदू भी तेरा काइल या रसूलल्लाह !''

(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. ३३७) शेर की वज़ाहत : यानी या रसूलल्लाह स्व० ! मैं आप के अच्छे अख़्लाक़ और उम्दा औसाफ़ पर कुरबान कि अपने तो अपने, गैर भी आप स्व० के अख़्लाक़े हसना और औसाफ़े हमीदा से मुतअस्सिर हैं।

सुना आप ने कि रसूले करीम स्व० के अख़्लाक़ कितने अच्छे थे ! आप स्व० कुदरत व इख़्तियार होने के बा वुजूद अपनी ज़ात के लिये कभी भी बदला न लेते बल्कि बुराई का जवाब अच्छाई से ही दिया करते थे, हत्ता कि आप स्व० अपने खून के प्यासों से भी इस कदर नर्मी का बरताव फ़रमाते कि वोह आप स्व० के हुस्ने अख़्लाक़ के असीर हो कर रह जाते । जैसा कि बयान कर्दा वाकिए से ज़ाहिर हुवा कि दुअसूर कि जो आप का जानी दुश्मन था जब उस ने नबिय्ये अकरम स्व० के दरगुज़र और आप स्व० के अख़्लाके करीमाना का शानदार मुजाहरा देखा, तो वोह मुतअस्सिर हुवे बिगैर न रह सका और फ़ौरन कलिमा पढ़ कर दाखिले इस्लाम हो गया । मालूम हुवा ! हुस्ने अख़्लाक़ दिल जीतने का

नुस्खा है और येह ऐसा नुस्खा है जो हर एक के लिये फ़ाइदे मन्द है क्यूंकि अच्छे अख़्लाक़ में न तो रकम खर्च होती है और न ही इस में कोई नुक्सान है। बिल खुसूस मुबल्लिगात का अच्छे अख़्लाक़ की दौलत से आरास्ता होना बहुत ज़रूरी है क्यूंकि बा अख़्लाक़ मुबल्लिगा की बरकत से मदनी काम खूब फलता फूलता है, बा अख़्लाक़ मुबल्लिगा मदनी काम को दुरुस्त अन्दाज़ में कर सकती है, बा अख़्लाक मुबल्लिगा की कोशिशों से अलाके में मदनी कामों की धूमें मच जाती हैं, बा अख़्लाक़ मुबल्लिगा दावते इस्लामी की नेक नामी का सबब बनती है, बा अख़्लाक़ मुबल्लिगा नई इस्लामी बहनों को मदनी माहोल से वाबस्ता कर सकती है, बा अख़्लाक़ मुबल्लिगा एक कामयाब ज़िम्मेदारा कहलाती है, बा अख़्लाक़ मुबल्लिगा को इनफ़िरादी कोशिश में बहुत आसानी रहती है। अल ग़रज़ ! अख़्लाक़ का अच्छा होना कसीर फ़वाइद का सबब बनता है। हमें चाहिये कि हम नर्मी और अच्छे अख्लाक को अपने किरदार का हिस्सा बनाएं मगर याद रखिये ! येह ज़रूरी नहीं कि हम किसी से मुस्कुरा कर मिलें, तो वोह भी खन्दा पेशानी से हमारा इस्तिक्बाल करे बल्कि मुमकिन है सामने वाली हमारी मुस्कुराहट को तन्ज़ समझ कर गुस्से में आ जाए और बद अख़्लाकी से पेश आए, ऐसे मौकअ पर अल्लाह पाक का येह फ़रमान पेशे नज़र रखना चाहिये । चुनान्चे, कुरआने करीम के पारह २४, सूरए की आयत नम्बर ३४ में है : तर्जमए कन्जुल ईमान : ''और नेकी और बदी बराबर न हो जाएंगी, ऐ सुनने वाले ! बुराई को जठ भलाई से टाल जभी वोह कि तुझ में और उस में दुश्मनी थी, ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त ।'' हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुफ्ती मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रह०, बुराई को भलाई से टालने का तरीका बताते हुवे इरशाद फ़रमाते हैं : मसलन गुस्से को सब्र से, जल (ला इल्मी) को हिल्म (बुर्दबारी) से, बद सुलूकी को अफ्व (व दरगुज़र) से कि अगर कोई तेरे साथ बुराई करे, तू मुआफ़ कर । इस खस्लत (खूबी) का नतीजा येह होगा कि दुश्मन दोस्तों की तरह मुहब्बत करने लगेंगे। **(तफ़्सीरे खज़ाइनुल इरफ़ान, पारह २४ ५०गख तहतुल आयत ३४)**

मुसलमान हों या गैर मुस्लिम सभी इस हकीक़त को तस्लीम करते हैं कि इस्लाम अच्छे अख़्लाक़ और नर्मी की बदौलत फैला है। आज हमें हर तरफ़ इस्लाम की जो रौशनी दिखाई देती है उस में हमारे प्यारे आका, मदीने वाले मुस्तफा स्व०, उन के प्यारे सहाबा व अहले बैत और उन के बाद आने वाले औलियाए किराम के अच्छे अख़्लाक़ का बहुत बड़ा अमल दखल है। आज भी आशिकाने रसूल के अच्छे अख़्लाक़ की बरकतों की ब दौलत बे शुमार गैर मुस्लिम, इस्लाम की दौलत से सरफ़राज़ हो रहे हैं ।

रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सफ़र पर तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक कब्र को देखा तो वहां पर सवारी से उतर गये और उतर कर दो रक्अत नफिल पढ़ी, और फिर सवारी पर सवार होकर आगे रवाना हो गए। साथ में जो हज़रात थे, उन्हों ने समझा कि शायद किसी ख़ास आदमी की कब्र है, इसलिये यहां उतर कर दो रक्अत पढ़ ली। चुनांचे उन्हों ने पूछा कि हज़रत क्या बात है? आप यहां क्यों उतरे? उन्हों ने जवाब दिया कि बात असल में यह है कि जब मैं यहां से गुज़रा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जो लोग कब्रों में पहुंच चुके हैं, उनका अमल ख़त्म हो चुका है, और जैसा कि हदीस शरीफ में है कि ये लोग कब्रों के अन्दर इस बात की हसरत करते हैं कि काश हमें इतना मौका मिल जाए कि हम दो रक्अतें और पढ़ लें और हमारी नेकियों में और हमारे आमाल में दो रकअत नफिल का और इज़ाफा हो जाए। लेकिन इस हसरत के बावजूद उनके पास नफिल पढ़ने का मौका नहीं होता। तो मुझे ख्याल आया कि अल्लाह तआला ने मुझे यह मौका दे रखा है, इसलिये चलो मैं जल्दी से दो रक्अत नफिल पढ़ लूं। इसलिये फरमाते हैं कि वे अपने एक एक लम्हे को इस तरह काम में लाते हैं।

औरतों की कमजोरी

जनाबे रसूलुल्लाह सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि जब मेराज शरीफ़ जाना हुआ तो वहाँ जन्नत व जहन्नम की भी सैर करना हुआ तो देखा कि जहन्नम के अज़ाब में जो लोग मुब्तला हैं उनमें अकसर औरतें हैं आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि औरतों में दो ख़ामियाँ बहुत कसरत से पाई जाती हैं जिनकी वजह से जहन्नम में जाना होगा।

१. लानत का जुमला कसरत से ज़बान पर जारी हो जाना : जहन्नम में जाने का एक सबब यह है कि औरतें बहुत मामूली मामूली बातों पर ज़बान से लानत का जुमला निकाला करती हैं। मसलन दूध पीते बच्चे से भी अगर कोई बात मिज़ाज के खिलाफ़ सादिर हो जाए तो उससे भी कह देती हैं कि तू मरता क्यों नहीं। और जुमला लानत का हाल यह है कि ज़बान से निकलने के बाद वह कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि ज़रूर अपना असर दिखा देता है। जिस पर लानत की जाती है अगर वह वाकई मुस्तहिके लानत है तो उस पर पड़ जाएगी और अगर वह मुस्तहिक़ नहीं है तो जिसने लानत की है उस पर आकर गिरती है। हदीस शरीफ़ मुलाहिजा फ़रमाइए : हज़रत अबू जर गिफ़ारी रजि० से मरवी है कि उन्होंने आप सल्ल० को कहते हुए सुना है कि 'कोई आदमी दूसरे आदमी पर फ़िस्क व फुजूर का इल्ज़ाम नहीं लगाता और न ही कुफ़ की लानत करता है। मगर वह लानत उसकी तरफ़ लौटती है अगर उसका साथी ऐसा नहीं है। **(बुखारी शरीफ़ २/८९८, हदीस ५८१०, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, ५/१८१)**

२. अपने शौहर की नाशुक्री करना:

अकसर जहन्नम में जाने का दूसरा सबब यह है कि शौहर की जरा–सी बात अपने मिज़ाज के ख़िलाफ़ हो या शौहर कोई मुतालबा उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा न करे तो पिछले तमाम एहसानात पर एक जुमले से पानी फेर देती हैं कि इस मर्द ने कभी मेरा हक़ अदा नहीं किया, इस मर्द ने तो हमेशा मुझे जलील ही किया है, मैंने तो कभी इसमें कोई भलाई नहीं देखी। बस मैं ही हूँ जो उसके पास बांदी बनकर रह रही हूँ वगैरह–वगैरह। यह सब ऐसे जुमले हैं जो शौहर की जिंदगी भर के एहसानात को फ़रामोश कर देनेवाले हैं। यह अल्लाह को किसी तरह पसन्द नहीं है। हदीस पाक मुलाहिजा फ़रमाइए : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० ने फ़रमाया कि आप सल्ल० का इरशाद है कि : ''मुझे जहन्नम दिखाई तो देखा कि उसमें अकसर ऐसी औरतें हैं जिन्होंने शौहरों की नाशुक्री की, और उनके एहसानात को फ़रामोश कर दिया था, और अगर तुम उनमें से किसी पर एहसान करो, फिर तुमसे कोई बात ख़िलाफ़े मिज़ाज देख ले तो कह देगी कि मैंने तो कभी भी तुमसे कोई खैर और भलाई नहीं देखी। **(बुखारी शरीफ़ ११९, हदीस २९, १/१४३, हदीस १०४२,२/७८२, हदीस ५००२)**

शाहीन निजामुद्दीन मुल्ला
७५१७६३८६७५
Mustafa
मुस्तफा वेल्फेअर फौंडेशन
हज और उमराह के लिए किफायत दाम में
ऑनलाईन पासपोर्ट सेवा शुरू
की गई है।
५९८, साऊथ शिवाजी नगर, रिलांयस मार्केट के करीब, सांगली. ४१६ ४१६

गैर इस्लामी अख्लाक कुरआन व सुन्नत की रौशनी में

चुगलरखोरी :

चुगलखोरी, किसी को ज़लील करने के लिये अफवाह बाजी की कुरआन मजीद में कड़ी निन्दा है और इसी के साथ हर चीज़ पर कान रखने और बगैर जांचे परखे हर बात मान लेने को नापसन्द किया गया है। ''(ऐ ईमान वालों! अगर कोई गुनहगार तुम्हारे पास कोई खबर लाये तो जांच कर लो कि कही कौम पर नादानी से जा पड़ो, फिर अपने किये पर पछताने लगो)'' एक बार रसूलल्लाह स०अ० ने फ़रमाया कि तुम्ही बताओ की सबसे बुरे लोग कौन हैं, फिर खुद ही बताया कि जो चुगलियां करते रहते हैं और दोस्तों के आपस मे संबंध को खराब करते है। जब तुम लगे अपनी जबानो से उसकी नकल दर नकल करने और अपनु मुंह से ऐसी बातें कहने लगे जिसकी पूरी खबर तुमको नही; और तुमने उसको ऐसी हल्की बात समझा हालांकि वो अल्लाह के निकट बहुत सख्त बात है।

गीबत करना व ऐब निकालना:

गीबत करना व ऐब निकालना, बदज़नी व दुर्व्यवाहर से सख्ती से रोका गया है क्योंकि जिस समाज मे ऐब पैदा होते हैं वो समाज, सुधार और खुशगवार माहौल से कट जाता है। नाखुशगवारी और आपसी रंजिशों का ऐसा माहौल तैयार हो जाता है जो हर व्यक्ति को एक न ख़त्म होने वाले अज़ाब मे डाल देता है, कुरआन मजीद ने सामूहिक तौर पर इन सबको एक जगह पर डाल दिया है। ''(मुसलमानो! मर्द मर्दो पर न हसें) अजब नही कि (जिन पर हंसते हैं) वो (खुदा के निकट) उनसे बेहतर हों! और न औरतें औरतों पर हंसे अजब नही कि जिन पर हंसती हैं वो उनसे बेहतर हों। आपस मे एक दूसरे को ताने न दो और न एक दूसरे को बदनाम करो। ईमान लाने के बाद बदतहज़ीबी का नाम ही बुरा है और (जो उन हरकत से) बाज़ न आये तो वही (खुदा के निकट) जालिम हैं। मुसलमानों! (लोगों के संबंध से) बहुत शक करने से बचते रहो क्योंकि कई शक गुनाह में दाखिल हैं और एक दूसरे की टोह मे न रहा करो और तुममे से एक एक को पीठ पीछे बुरा न कहे, भला तुममे से कोई इस बात को गवारा करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, तो तुमको घिन आयेगी और अल्लाह तआला से तक़वा करो, बेशक अल्लाह तौबा कुबूल करने वाला रहम करने वाला है।''

बेजा खुशामद और चापलुसी :

इसी तरह इस्लाम बेजा खुशामद और चापलूसी को भी नापसन्द करता है बेजा खुशामद और तअरीफ़ से आदमी के अन्दर गुरूर पैदा हो जाता है। नफ्स मोटा हो जाता है और अपने ऐब व हुनर पर नज़र डालने वाली आंख की रोशनी खत्म हो जाती है। कुरआन मजीद मे ऐसे खुद पसन्द यहूदियों और खुशामद पसन्द मुनाफ़िकों के बारे में कहा गया है: ''(जो अपने कारनामे पर इतराते हैं और जो उन्होने नही किया उस पर तारीफ किये जाने को पसन्द करते हैं तो उनको हरगिज़ न समझाना कि वो सजा से बच जाएगे और उनके लिये दर्दनाक सजा है)''

हद से ज्यादा माल की मुहब्बत :

कुरआनी तालीम हद से अधिक माल की मुहब्बत की निंदा और खर्च न करने की बुराई से भरी हुई है और

कुरआन मजीद की आयतों की इतनी बड़ी तादाद इस सिलसिले मे आयीं हुई हैं। जिनको गिनना मुश्किल है। इसी तरह पैगम्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद स०अ० की बातों मे हद तक अधिकता से इस बुरी आदत पर नापसन्दीदगी जाहिर की गयी जिनको एक करने के लिये एक दफ्तर है। और खुद हज़रत खदीज़ा रजि० ने आपके जिन औसाफ को याद दिलाया है उससे भी यही मालूम होता है। हज़रत ख़दीजा रजि० ने खिताब करते हुए यूं कहा कि: '' या रसूलल्लाह स०अ० आप करीबियों का हक और कर्जदारों का कर्ज़ अदा करते हैं, गरीबों को पूंजी देते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं और हक के मुसीबत के मारों की मदद करते हैं।'' **(बुखारी)**

सूरह मुदस्सिर जो नबूवत के शुरू की सूरह है इसमे दोज़खियों के सवाल व जवाब का एक मकालमा: ''उनसे जब पूछा जाएगा कि तुम दोज़ख मे क्यों डाले गये? तो कहेंगे! हम नमाज़ नही पढ़ते थे और गरीबों को खाना नही खिलाते थे, विरोधियों के साथ मिलकर हम दीने हक़ पर एतराज़ किया करते थे और सब इसलिये था कि हम अपने अमल की जज़ा और सज़ा के दिन पर यकीन नही रखते थे। तुमको दोज़ख मे क्या चीज ले गयी, कहेंगे हम नमाज़ियों मे से न थे और गरीबों को खिलाते न थे और बहस करने वालों के साथ होकर हम भी बहस किया करते थे और रोज ए-जज़ा को झुठलाते थे)''। दूसरी जगह इरशाद होता है: ''(जिसने माल इकट्ठा किया और उसी को बढ़ाया। समझता है कि इसका माल इसको हमेशा रखेगा हरगिज़ यूं नही, वो ज़रूर दोजख मे डाला जाएगा)''

कंजूसी:

कंजूस आदमी न दुनिया मे खुश रहता है और न आख़िरत मे सुकून से रहता है। दुनिया मे सब कुछ होने के बाद भी न अच्छा खाना मिलता है, न अच्छे कपड़े, न इज़्ज़त न आबरू, हर एक इसके नाम से नफरत करता है और फकीर इसके लिये बद्दुआ, यहां तक कि बीवी और बच्चे जिनके लिये वो सब कुछ करता है वो भी उससे खुश नही रहते, खुद पैगम्बर मुहम्मद स०अ० इससे खुश नही रहा करते थे। आप की दुआओं मे ये दुआ भी थी, खुदावन्द! मै कन्जूसी, कसलमन्दी, बुढ़ापा, कब्र के अज़ाब और जिन्दगी व मौत की आज़माइश से तेरी पनाह मांगता हूं। इसी तरह लालच बेजा हिन से नफ्स को बचाने की बड़ी ताकीद है और कुर्बानी और अपने पर दूसरों को तरजीह देने की बड़ी तरगीब, इरशाद है: ''(अपने ऊपर औरों को तरजीह देते हैं चाहे खुद उनको ज़रूरत हो, और जो अपने जी को लालच से बचा ले गया वो कामयाब है)'' इरशाद-ए-नबवी है कि ईमान और लालच एक दिल मे जमा नही हो सकते हैं। एक मौके पर इरशाद फरमाया कि हिर्स से बचो, क्योंकि तुमसे पहले की कौमें इसी हिर्स से तबाह हुई, उसी ने उनसे कहा तो उन्होने कंजूसी की, उसी ने उनसे छोटा और बड़ा गुनाह करने को कहा तो उन्होने छोटा और बड़ा गुनाह किया। कई सहाबियों का बयान है कि रसूलल्लाह स०अ० ने फरमाया कि दो भेड़िये हैं जो बकरियों के झुण्ड मे छोड़ दिये जाए वो उनको उतना बर्बाद नही करते जितना माल और जाह की लालच इन्सान के दीन व ईमान को बर्बाद कर देती है।

बेईमानी चोरी और नाप तौल मे कमी:

इस कायनात के बनाने वाले ने हर इन्सान के हक मुकर्रर कर दिये हैं और उसकी अपनी चीज़ों में उसको कब्जे का हक दिया है, अब किसी दूसरे को ये हक नही पहुंचता बगैर इजाज़त किसी के हक में कांट-छांट करे, अब अगर कोई बेईमानी से, चोरी या धोखेबाज़ी से या जबरदस्ती से किसी के हक पर कब्ज़ा करना चाहे वो दुनिया के पैदा करने वाले कि न्याय की व्यवस्था को दरहम-बरहम करना चाहता है। इसी को कुरआन मे यूं कहा गया है: ''(ऐ ईमान वालों! आपस में एक दूसरे के माल को बेजा तरीके से मत खाओ)'' रसूलल्लाह स०अ० ने इरशाद फ़रमाया कि वर्गों मे से कोई एक ज़्यादा बात बनाने वाला है और वो अपने दावे को अच्छे अन्दाज़ से बयान करता है और मैं उसके हक मे फैसला देता हूं, अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ दिला दी जो इसकी नही तो वो खुद न ले क्योंकि मैंने इसको आग का टुकड़ा दिया। अगर कोई व्यक्ति चरबज़बानी या ज़बान के प्रयोग से किसी के हक पर कब्जा कर लेता है और उसको अपने अधिकार मे ले लेता है तो ये उसके लिये इसी तरह जाएज़ नही चाहे उसको कब्जे का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से ही क्यों न मिला हो। हजरत उबादा बिन अल सामित रजि०

कहते हैं कि एक बार हम लोग आप हज़रत स०अ० के पास बैठे थे, आप स०अ० ने फ़रमाया कि हमसे वादा करो कि तुम शिक्र, चोरी, और बदकारी न करोगे फिर आयते करीमा पढ़ी ''जो कोई ये अहद पूरा करेगा उसकी मजदूरी अल्लाह के जिम्मे है। और जो इसमे से किसी एक का मुरतकिब हुआ और उसकी सज़ा उसको दे दी गयी तो इस गुनाह का कफ्फारा हो गया और किसी ने एक का इरतिकाब किया और खुदा ने उसको छुपा दिया तो उसको माफ़ करना अल्लाह के हाथों मे हैं चाहे माफ करे चाहे सजा दे।'' और कुरआन मजीद का नाप तौल मे कमी के बारे मे हुक्म हुआ: ''(और पूरा भर दो नाप और न हो नुकसान देने वाले का और लो सीधी तराजू से और मत घटा कर दो लोगों को उनकी चीज़े और मत फिरो देश में फसाद फेलाते)''

क्या कॉलेज कैंटीन अनैतिक होते जा रहे हैं ?

लफडेबाजी का अड्डा बनते जा रहे है? मुस्लिम मां–बाप कब समझेंगे एक मुस्लिम लड़की की हर महीने–दो महीने में एक गैर–मजहब युवक से शादी और कॉलेज का आज़ाद माहौल, पूरक दोस्ती और एक तथाकथित षड्यंत्र कि उस शादी की ओर जाता है ? कब जागेगा मुस्लिम समाज?? न केवल मुस्लिम बल्कि मराठा या किसी भी युवा महिला का गैर–धार्मिक विवाह दुर्भाग्यपूर्ण और क्या माता–पिता को पता नहीं है कि उनके बच्चे कॉलेज में क्या गुल खिला रहे है ? ज्यादातर विभिन्न कॉलेज क्षेत्रों में तथाकथित कॉलेज गर्ल्स कॉलेज टू लॉज करती हैं। हमने इसे हाइलाइट किया था लेकिन माता–पिता अभी भी उदासीन साबित हो रहे हैं। कॉलेज के पास की कैंटीन में आजकल कुछ बेकार और नालयक मुस्लिम लड़कियाँ बुर्का पहने और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर इस्लाम का मज़ाक उड़ाती हुई पाई जाती हैं, उन्हें कौन रोकेगा? होटल– पार्कों और अन्य स्थानों पर बाइक पर युवकों के साथ युवतियां मौज–मस्ती करती हैं। कौन हैं वो लड़कियां जो सड़क पर एक लॉज में बुर्का पहनती हैं ? हर बार हम सामाजिक जागरूकता करते है, समाज को जगा रहे है, क्या माता–पिता सो रहे हैं ? यह किसी एक धर्म का विषय नहीं है। यह पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तुम्हारी बेटियाँ भाग रही हैं और दूसरे युवकों से शादी कर रही हैं... मिकदार बढ़ रही है।लेकिन क्या माता–पिता इस बारे में गंभीर नहीं हैं? वह मोबाइल पर किसके साथ चैट करती है ?वह कितने बजे कॉलेज जाती है ?कब आती है ?उसके दोस्त कौन हैं ? क्या माता–पिता ने कभी यह जानकारी ली है ? सभी लड़कियां गपशप नहीं करती हैं। कुछ अच्छी शिक्षित लड़कियां इस बुरी प्रवृत्ति के अपवाद हैं। लव मैरिज करने वालों के लिए, जिनके लड़के हैं और बेटियां नहीं समाजप्रबोध के लेख की आलोचना करेंगे। जिनके घर में लड़कियाँ होती हैं, वे ही इसका महत्व जान सकते है। लड़कियाँ छोटी होती हैं, लड़कियों को १४–१५ साल बाद उनका मासिक पाळी आती है, माता–पिता जागरूक हो जाते हैं, माता–पिता की देखभाल बढ़ जाती है। उन्हें ही पता चलेगा कि परेशानी क्या होती है जब उनकी बेटी घर से दूसरों के साथ भाग जाती है.! वैसे भी, माता–पिता को अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए जो कॉलेज जाती हैं और बुर्का पहनती हैं और समाज को शर्मसार करती हैं और आपको धोखा देती हैं। साथ ही सभी धार्मिक माता–पिता अपने बच्चों पर नजर रखें और अपनी बेटियों का विवाह सही उम्र में करें और जागृत माता–पिता साबित हों।

इकबाल मुल्ला
संपादक: वेध वृत्तपत्र

घरेलू जिन्दगी कायमाब कैसे हो ?

खुशहाल जीवन का आधार घरेलू जीवन को अच्छा बनाने पर है। अगर किसी का घरेलू जीवन अच्छा नही होगा तो यकीनन उसकी सारी जिन्दगी बेमज़ा गुज़रेगी। आज आम तौर पर घरेलू जीवन अच्छा नही गुज़र रहा है जिसका सबसे बड़ा कारण ये है खुद की बनायी गयी रस्मे, शरीअत के खिलाफ के कामों के जाल में जिन्दगी उलझ कर रह गयी है। कई बहुत अच्छे घरानों तक में जहां दीन की महानता बाकी है शरीअत के खिलाफ़ की रस्मों की पाबन्दी जारी है और वैवाहिक संबंध जो खुशहाल जीवन गुजारने का साधन है लगातार कटुता का कारण बन जाता है और कई बार इसमे बड़े अफसोसनाक परिणाम सामने आते हैं जिनका उपचार किसी के बस मे नही होता। रसूलल्लाह स०अ० ने जहां सारी जिन्दगी के लिए हिदायतें अता फरमायी हैं वहां इस संबंध के बेहतर बनाने और पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आसान और हल्के फुल्के तरीके बताए हैं कि जिनको अपना कर हर मुसलमान मर्द–औरत चाहे वो गरीब हो या अमीर एक समान रूप से अपना जीवन खुशहाल बना सकता है। लेकिन अफसोस है कि हमने अपने इन सहल और आसान तरीकों को छोड़कर अपने बनाए हुए रस्मोरिवाज के बन्धनों में बंधकर हमेशा के लिये मुसीबत मोल ले रखी है! आइये अब थोड़ी देर के लिये पारिवारिक जीवन का निरीक्षण कीजिए और रसूलल्लाह स०अ० की हिदायत की रोशनी में अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए।

पारिवारिक जीवन, वैवाहिक संबंध से शुरू होता है। अगर ये संबंध सही तौर पर स्थापित हो गया और पूरे आदाब और शर्तों के साथ से संबंध स्थापित रहा तो पारिवारिक जीवन मे कटुता का सवाल तक पैदा नही हो सकता। वैवाहिक संबंध के सिलसिले मे हर एक को तीन दौर से गुजरना पड़ता है: १– शादी से पहले, २– शादी के समय, ३– शादी के बाद–इन तीनो दौर के संबंध मे हमको हजुर सरवर–ए–कायनात स०अ० की रोशन हिदायतें मिलती हैं: १– शादी के पहले सबसे बड़ा मसला पति या पत्नी के चुनाव का आता है या यूं समझिये कि दामाद या बहू के चुनाव का आता है। ये मसला ऐसा नही कि इस पर ध्यान न दिया जाए, हर एक की इच्छा होती है कि वो ऐसी जगह वैवाहिक संबंध स्थापित करे जहा सुकून व राहत हासिल हो और वो घराना हर प्रकार से अच्छा व बेहतर हो लेकिन हर एक का स्तर अलग होता है। किसी के निकट खानदान स्तर होता है, कोई दौलत को पसन्द करता है, कोई हुस्न व आराइश का चुनाव करता है लेकिन ये सभी चीज़े ऐसी नही है जिन पर पारिवारिक जीवन की खुशहाली के संबंध से भरोसा किया जा सके।

रसूलल्लाह स०अ० ने पारिवारिक जीवन की खुशहाली के सिलसिले में पति व पत्नी या दामाद व बहु के चुनाव के सिलसिले मे फरमाया:''अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे यहां पैगाम दे जिसकी दीनदारी और व्यवहार पर तुमको इत्मिनान है तो उसके साथ शादी कर दो, अगर ऐसा न करोगे तो ज़मीन पर बड़ी खराबी पैदा होगी और बड़ा फितना बरपा होगा'' (तिरमिजी) बीवी या बहु के चुनाव के मसले मे फरमायाः ''किसी औरत से निकाह चार वजह पर किया जाता है, १- उसकी दौलत की वजह से, २-उसके खानदान के बिना पर, ३- उसके हुस्न व जमाल की खातिर, ४- उसके दीन व अखलाक की वजह से, तो उसके दीन व अखलाक को पेश नजर रखो। १- शादी के समय दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक मेहर का मसला, दूसरा जहेज़ का मसला, कितने ऐसे खानदान हैं जहां ये दोनो मसले निहायत मुश्किल हो गये हैं और जिनकी वजह दोनो वर्ग में मुसीबत हो गयी है। एक ओर लड़के वाले अधिक से अधिक जहेज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और कई खानदान में ये बुरी रस्म जारी है कि लड़की वाले जब तक लड़के वाले को बड़ी रकम न अदा करें तो वो लड़की को ब्याह नही सकते, जिसका परिणाम ये होता है कि कई बार लड़की बड़ी हो जाती है मगर आर्थिक बदहाली के कारण इस रस्म को पूरा नही किया जा सकता और वो लड़की बिन ब्याही जिन्दगी गुजारती है, और सैंकड़ो खराबिया ऐसे घरानों को घुन की तरह खाती रहती हैं और कई बार तबाह करके रख देती है। दूसरी ओर लड़की वाले मेहर की इतनी भारी मात्रा की मांग करते हैं जिसको शौहर अदा नही कर सकता, परिणाम ये होता है कि या शादी होती नही या मेहर अदा करने का इरादा तक नही होता, जो शरीअत के निकट बहुत ही बुरा काम है इस मामले में हुजूर स०अ० के अमल पर गौर कीजिए और अपने गिरेबां मे मुहं डालकर फैसला कीजिए।

हज़रत उमर रजि० फरमाते हैं कि लोगो औरतों की मेहर ज्यादा न बांधो, याद रखो अगर मेहर की अधिकता दुनियावी इज़्ज़त व वजाहत या खुदा के नज़दीक नेकी की बात होती तो तुम मे सबसे अधिक रसूलल्लाह स०अ० इसके हकदार होते, मुझको याद नही पड़ता कि रसूलल्लाह स०अ० ने किसी से खुद निकाह किया हो या अपनी बेटियों का निकाह किया हो और पांच सौ दिरहम से अधिक मेहर बांधा हो। हुजूर स०अ० ने अपनी महबूब साहबज़ादी हज़रत फातिमा रजि० का निकाह किस शान से किया, जरा ये भी सुनिये, मेहर एक सौ पच्चीस रुपया बांधा और जहेज़ क्या दिया? एक चारपाई, चमड़े का एक गद्दा, दो मिट्टी के घड़े, एक मशक और दो चक्कियां, ये शादी उनकी उस महबूब साहबज़ादी की थी जिनके संबंध मे आप स०अ० ने फरमाया था कि ,' फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी', इस तरह की शादी न फ़र्ज़ है न वाजिब लेकिन खुदाया सोचिये कि हम जिन जिन खुराफात, रस्मोरिवाज और फिज़ोलखों में लिप्त हैं और रुपया पानी की तरह बहाते हैं और उन गोरखधंधो मे खानदान के खानदान तबाह होते जा रहे हैं ये तरीका रसूलल्लाह स०अ० की उम्मती कहलाने वाली कौम के लिये बहुत ही शर्मनाक है कि नही।

२- शादी के बाद पारिवारिक जीवन खुशहाल बनाने की सूरत ये है कि पति और पत्नी एक दूसरे के अधिकार पहचाने और एक दूसरे के जज्बातों की कद्र करें, रसूलल्लाह स०अ० ने शौहर के संबंध मे फरमाया, मुसलमानों मे मुकम्मल ईमान वाले वो हैं जो अपनी बीवियों से बेहतर सुलूक करें। और बीवी के संबंध मे फरमाया, आप से पूछा गया कि कौन सी औरते अच्छी हैं, फ़रमायाः ''वो औरत जिस पर शौहर निगाह डाले तो वो शौहर को खुश कर दे, जब किसी बात का हुक्म दे तो माने, और अपनी इज़्जत व आबरू के संबंध मे और शौहर के माल मे वो रूप न अपनाए जिसे उसका पति बुरा समझता हो ये कुछ छोटे इशारे हैं जो पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिये दिये गये हैं और यही वो सूरते हैं जिनको अपना कर पूरा जीवन खुशहाल बन सकता है।

इस्लाम औरतों के हक़ का मुहाफ़िज़

महिलाएं आधी मानवता हैं और पूरी मानवता एक ही बाप से पैदा हुई है, जिन्हें हम हज़रत आदम अलै० कहते हैं। ये पहले नबी ही नहीं बल्कि पहले इन्सान भी हैं और हज़रत आदम अलै० ही से उनका जोड़ा हजरत हव्वा अलै० को पैदा किया गया। जिससे ये बात साफ होती है कि औरत अस्ल में मर्द ही का हिस्सा है और उसकी पत्नी है। अल्लाह तआला का इरशाद है: ''ऐ लोगों! अपने परवरदिगार से डरो! जिसने तुमको एक ही जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिये।'' (अलनिसाः ०१) ये आयत मानवता के साम्प्रदायिक बंटवारे और रंग व नस्ल के आधार पर ऊंच–नीच के विचार का समापन करने के अतिरिक्त महिलाओं के प्रति पाये जाने वाले झूठे विचारों की भी काट करती है और ये साबित करती है कि महिलाएं कोई दूसरी तुच्छ व साधारण प्राणि नहीं; अपितु मानवता की विशेषता व श्रेष्ठता से परिपूर्ण पुरूषों का अपना हिस्सा व अंश हैं। अल्लाह तआला ने मर्द–औरत को एक समान महत्व दिया है। दोनों को मुनासिब ज़िम्मेदारियों का अधिकारी बनाया है। कथनी व करनी एवं उस पर दिये जाने वाले गुनाह व सवाब की चर्चा भी बिना किसी अन्तर के की गयी है। सूरह नहल में फ़रमाया गया है: ''जो भी व्यक्ति नेक कार्य करेगा; चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वह मोमिन हो, उसे दनिया में भी हम पवित्र जीवन बसर करवायेंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके बदले उनके कार्यों के अनुसार बख्शेंगे।'' (अलनहलः ९७)

इबादत, मामलात, अच्छा व्यवहार, उत्तम चरित्र, न्याय, अर्थव्यवस्था व सामाजिकता; इन सारी चीज़ों में महिलाओं एवं पुरूषों के बीच समानता का ध्यान रखा गया है; बल्कि कई जगह पर औरतों की प्राकृतिक बनावट को ध्यान में रखकर पुरूषों के मुकाबले अधिक ध्यान दिया गया है। आप स०अ० ने एक बाप को अपनी बेटी की परवरिश और उसकी शिक्षा–दीक्षा का ज़िम्मेदार घोषित करते हुए इस बात की ताकीद भी की कि उसकी शादी की व्यवस्था करे और अगर अल्लाह न करे वो बेवा हो गयी या उसे तलाक दे दिया गया तो भी उसकी जिम्मेदारी मां–बाप पर ही बतायी है। इसी तरह बाप के मुकाबले में मां का दर्जा ज़्यादा दिया। और बाप से ज़्यादा मां के साथ अच्छे व्यवहार पर ज़ोर दिया गया है। इसी प्रकार आख़िरी हज के भाषण के अवसर पर औरतों के साथ अच्छे व्यवहार पर ज़ोर देना खुद इस बात की पहचान है कि इस्लाम में महिलाओं का स्थान कितना श्रेष्ठ है। जहां तक अधिकारों की बात है तो अल्लाह तआला ने मर्द व औरत दोनों के अधिकार एक दूसरे पर रखे है। इरशाद है: ''औरतों के लिये भी मारूफ़ तरीकों पर वही अधिकार है जैसे मों के अधिकार उन पर हैं; यद्यपि मर्दो को उनपर एक दर्जा हासिल है।'' (अलबकराः २२८)

पति–पत्नी दोनों को बराबर के अधिकार एवं कर्तव्यों का जिम्मेदार घोषित करने के बावजूद अल्लाह तआला ने पति को पत्नी पर साधारण सी श्रेष्ठता दी है और इसका कारण भी दूसरी आयत में साफ है कि मर्द पर बीवी बच्चों के पालन–पोषण की ज़िम्मेदारी है और फ़ितरी बात है कि ज़िम्मेदार को उसके मातहतों पर वरीयता प्राप्त होती है: ''मर्द औरत की निगरानी करने वाला है, इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर श्रेष्ठता दी है और इस आधार पर कि मर्द अपना माल खर्च करते है।'' (अलनिसाः ३४) इस आयत पर औरतों की नफ्स की इज्ज़त और उसकी शराफ़त व वकार का पूरा–पूरा लिहाज़ रखते हुए एक एतबार से मर्दो का दर्जा बढ़ाकर उनके कर्तव्यों को बढ़ाया गया है। और पारिवारिक

व्यवस्था को चलाने के लिये आवश्यक रूप से हर चीज़ की निगरानी करने वाला बनाया गया है। इसी प्रकार विरासत में औरतों का हिस्सा मर्दो के मुकाबले आधा रखने का मामला हो या औरतों का मस्जिदों में जाने का मामला हो या तलाक का अधिकार मर्दो को देने की बात हो या बाहर निकलते समय पर्दे का मामला या जुमा जमाअत से या ईद की नमाज़ों से परहेज, इन सभी मसलों में न औरतों के साथ नाइंसाफी की गयी है और न ही उनको कमतर समझा गया है। बल्कि शरीअत में औरतों के कुदरती जुअफ़, उनकी फितरती नज़ाकतों और लताफ़तों को ध्यान में रखकर उनके साथ विशेष छूट का मामला किया है। उनकी जान और उनकी इज्जत को बचाने की कोशिश की गयी है। उनकी प्राकृतिक योग्यताओं का ध्यान रखा गया है और उन्हें कठिनाइयों और परेशानियों से बचाकर उनके लिये आसानियां पैदा की गयी हैं। इसलिये इस पहलू को लेकर मतभेद करने वाले और इस्लाम के खिलाफ साज़िश करने वालों को ठन्डे दिल से गौर व फ़िक्र करना आवश्यक है; क्योंकि विचार करने के बाद वो इस परिणाम पर मजबूर हो जायेंगे कि इस्लाम औरतों के अधिकार का वास्तविक रक्षक ही नहीं ध्वजवाहक भी है; इस्लाम ने औरतों को जो आम इन्सानी अधिकार दिये हैं उसका यदि व्यापक रूप से निरीक्षण किया जाये तो निम्नलिखित चीजें नुमायां तौर पर सामने आती हैं:

इस्लाम ने औरतों की मुस्तकिल हैसियत को स्वीकार किया है। उसे जायदाद का मालिक बनने और उसमें अपनी मर्जी से ख़र्च करने का अधिकार दिया है। उसे विरोध करने की आज्ञा दी है। और आपस में सहमति व राय बनाने की आजादी भी दी है। उन्हें निकाह करने और आवश्यकता पड़ने पर अलग होने की मांग करने की आजादी दी है। उसे मर्दो की तरह ज़िन्दा रहने और अपनी इज्जत व आबरू और हया व पाकदामनी के साथ जिन्दगी गुजारने की सहूलत दी है। उसे इस बात का भी अधिकार दिया है कि वो किसी को अपनी अमान में ले ले। वह शिक्षा व दीक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अधिकार रखती है। वह शरीअत की सीमाओं में रहते हुए नौकरी व व्यापार में भी हिस्सा ले सकती है। इस्लाम किसी भी अवसर पर महिलाओं की उन्नति में रूकावट नहीं बनता, हाँ इतना अवश्य है कि जिन चीज़ों से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है या उसके दामन पर दाग लग सकता है उन चीजों से बचाव के उपाय करने में या उसे बदनियत लोगों की हवस की निगाह से बचाने के लिये या उस पर जुल्म व अत्याचार किये जाने व उनको शोषण से बचाने के लिये कोई कसर भी बाकी नहीं रखी।

इसलिये बजा तौर पर ये बात कही जा सकती है कि औरतों के लिये इस्लाम रहमत के साये से कम नहीं, काश! इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले लोग ठण्डे दिल से सोचे महिलाधिकारों से संबंधित आवाज़ उठाने वाले लोग गंभीरता से अध्ययन करें, औरतों के अधिकार की दुहाई देने वाली संस्थाएं इस्लाम के रहमत के संदेश से नसीहत प्राप्त करें और औरतों की आज़ादी के नाम पर औरतों को बेचने का सामान बनाकर दुकानों, आफिसों, क्लबों और होटलों को आबाद करके उनका शोषण करने वाले लोग अपना निरीक्षण करें और इस्लाम की यायिक मावस्था को स्वीकार करें और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने पर शर्मसार हो।

इज़्ज़ व इंकिसारी

इज्ज व इंकिसारी अल्लाह को बहुत पसन्दीदा और महबूब हैं जो हमेशा अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया-ए-इजाम का शिआर रहा है। मक्का की जीत के मौके पर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो मुबारक सर झुका हुआ था, सरापा इज्ज व इंकिसार थे। एक-एक अदा से तवाजोअ और अफ़्व का जुहूर हो रहा था, हालांकि यह उस वक़्त के सबसे बड़े दुश्मन के मुकाबले में सबसे बड़ी फ़त्ह थी। इसका नतीजा यह निकला कि सरकश और हद दर्जा मुआनिद मुती व मिनकाद होते चले गए और उनको यक़ीन हो गया कि परवरदिगारे आलम की तरफ़ से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सरापा शफ़कत व रहमत हैं और बहुत बड़ी दौलत व नेमत (ईमान) हम को अता फरमा रहे हैं और यह कि यह इक्तिदार और मुल्कगीरी की जंग नहीं।

सरवर-ए-कौनैन (स्व०) से खिताब-ए-मुबारक

कुरआन मजीद में रसूलुल्लाह (स०अ०व०) से फरमाया गया कि अल्लाह के कलाम की सूरत में जो वही तुम्हें दी जा रही है, उसको लोगों के सामने पढ़िए, अल्लाह का इरशाद है: ''और आपके परवरदिगार की किताब की आप पर जो वही हुई है, वह पढ़कर सुनाइये, उसकी बातें कोई बदल नहीं सकता और उसके सिवा आपको कहीं पनाह की जगह मिल नहीं सकती।'' **(सूरह कहफ़: २७)** यहां यह नहीं कहा गया कि इस वही को लोगों तक पहुंचा दीजिए, बल्कि फरमाया कि उसकी तिलावत कीजिए यानि पढ़ते रहिए, गोया इस चीज़ की तिलावत होनी चाहिए, ताकि उसके बाद में लोग सबक लें।

तिलावत के हुक्म के बाद फरमाया कि यह बात समझनी चाहिए कि अल्लाह तआला के कलिमात में तब्दीली नहीं है, यह नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसा कहा है तो हो सकता है कि कल इसकी ज़रूरत न हो और अल्लाह ने यह सिर्फ आज ही के लिए कहा है, बल्कि जब अल्लाह तआला ने कहा है तो फिर वह कयामत तक हमारे लिए दर्स है और काबिले इस्तिफादा है, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। एक तरफ जहां उसके फ़रमान में कोई तब्दीली नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि अल्लाह तआला के अलावा तुम्हें हिफाजत का कोई ठिकाना भी नहीं मिलेगा, यह सब जितने भी सहारे और ठिकाने हैं, जिनसे आदमी खुद को खतरे व मुसीबत से बचाता है, यह सब बहुत कमजोर, मामूली और वक्ती सहारे हैं, दुनिया के तमाम वसाएल अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, दुनिया में जितने वसाएल और हिफाजत के तरीके हैं, वह सब अल्लाह ही के बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वह खुद-ब-खुद हों, हम उनको अख्तियार करें या न करें, हमें सोचना पड़ेगा, नहीं! बल्कि हमें उनको अख्तियार करना है, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे अख्तियार करने के लिए ही बनाए हैं, दवाओं में जो असर है और उसके अलावा जो दूसरे वसाएल हैं, यह सब अल्लाह तआला ही के बनाए हुए हैं, यह खुद से नहीं बने हैं, खुद से जो चीजें बनी हैं उसकी हैसियत दूसरी होती है और जो किसी ने बनाई हो उसकी हैसियत दूसरी होती है। जाहिर है जिस चीज़ को अल्लाह तआला ने बनाया है तो वह उसमें फेर-बदल भी कर सकता है। अल्लाह तआला उन चीजों को बेकार और बेअसर भी कर सकता है, इसलिए कि यह खुद से नहीं हैं, बल्कि यह ताबए हैं और अल्लाह की बनाई हुई है। लिहाजा अगर तुम उन चीजों का सहारा लोगे तो वह कमजोर और नापाएदार सहारा होगा और यह हकीकत अटल है कि अल्लाह तआला को छोड़कर तुम कोई और ठिकाना नहीं पा सकते।

रसूलुल्लाह (स०अ०व०) को इशाअत-ए-इस्लाम की फिक्र बहुत ज्यादा रहती थी, आप (स०अ०व०) के जहन में यह बात थी कि कुफ्फार में जो बड़े-बड़े सरदार हैं, बड़े-बड़े अमीर हैं, जिनका कौम पर असर है, अगर उनमें से कोई एक भी शख्स मुसलमान हो जाता है ,तो पूरी एक जमाअत मुसलमान हो जाएगी, यानि जितने लोग भी उनके जेरे असर होंगे, वह सब मुसलमान हो जाएंगे, इसीलिए रसूलुल्लाह (स०अ०व०) को इस तबके के इस्लाम लाने की खास फिक्र थी, ताकि इस्लाम जल्दी फैले, अल्लाह तआला ने इस जहनियत को मुखातिब करके रसूलुल्लाह (स०अ०व०) से फ़रमायाः ''और आप उन ही लोगों के साथ अपने आप को लगाए रखिए जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं उसकी खुशनूदी की चाहत में और दुनिया की आराइश की

खातिर उनसे अपनी निगाहें न फेर लीजिए और उसकी बात न मानिये जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है और वह अपनी ख्वाहिश के चक्कर में पड़ा है और उसका मामला हद से आगे बढ़ चुका है।'' (सूरह कहफ: २८)

आयत से पता चला कि जो बड़े–बड़े लोग आते हैं और अपनी कौम में बहुत असर रखते हैं, उनके इस्लाम की फिक्र न कीजिए, हकीकत में यह लोग अल्लाह तआला के बागी हैं और उसकी नज़र में उनकी कोई कीमत नहीं है, दुनिया में चाहे उनकी कोई कीमत हो और जैसा असर व रसूख हो, लेकिन अल्लाह तआला के यहां उनका कोई असर नहीं है, लिहाजा ऐ नबी! आपको अपनी तबियत पर जब्र करना होगा। आगे फरमाया कि उनके मुकाबले में जो लोग ईमान ला चुके हैं और वह मामूली दर्जे के लोग हैं, उनको आप यूं समझते होंगे कि यह खुद तो ईमान ले आए हैं लेकिन उनका दूसरों पर कोई असर नहीं है और चूंकि यह लोग अब ईमान ले आए हैं, लिहाजा अगर उन लोगों की हम ज्यादा फिक्र नहीं भी करते हैं तब भी यह तो हमारे साथ ही हैं, अलबत्ता यह लोग जिनके ईमान ले आने से समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, उन पर कोशिश व मेहनत की जानी चाहिए। इसके बाद इरशाद हुआ कि'' जो लोग अल्लाह को सुबह–शाम पुकारते हैं और अल्लाह की रजा के तालिब हैं, आप अपनी तबियत को उन पर मजबूर कीजिए, यानि उनके साथ रहने और उन्हीं की तरफ तवज्जो करने पर अपने को मजबूर कीजिए और अपने इस तकाजे को दबाइये कि हम किस तरह इन बड़े लोगों मुसलमान कर लें, जितना पैगाम देना हो उतना पैगाम दे दीजिए, जितनी बात कहनी हो उतनी कह दीजिए और उससे ज्यादा की फिक्र न कीजिए,जिनके बारे में अल्लाह तआला ने तय कर दिया कि यह काफिर रहेंगे तो आप उनको मुसलमान नहीं बना सकते, आपका काम पैगाम पहुंचाना और कोशिश करना है, आप उन पर ज्यादा मेहनत न कीजिए, बल्कि अपने को मजबूर कीजिए कि आप उन गरीबों और मामूली लोगों से वाबस्ता रहें जो अल्लाह को सुबह–शाम याद करते रहते हैं और दीन के काम में लगे रहते हैं।''

उन्हीं लोगों के बारे में और फरमाया कि ''आप अपनी निगाहों को उन लोगों से न हटाइये, ऐसा न हो कि आपकी निगाहें उनसे हट जाएं, यानि उनको कमतर समझें, आप उनको हरगिज़ कमतर न समझिए, यह लोग अल्लाह की नज़र में बरतर हैं और जिनको दुनिया बरतर देख रही है, अल्लाह की नज़र में वह कमतर हैं, लिहाजा आपका रवैया भी यह होना चाहिए कि उनको आप बरतर समझें और उनको कमतर समझें, अलबत्ता जहां तक दावत देने की बात है वह ज़रूर दें, उनको भी दें और उनको भी दें, लेकिन इतना याद रहे कि उन लोगों से आपकी निगाहें नहीं हटनी चाहिएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया की खूबियां और दुनिया की जो पुरकशिश बाते हैं, उनकी तरफ आपकी निगाह चली जाए और पुरकशिश बातें क्या हैं? यानि जो लोग बाअसर हैं, जो दुनिया चला रहे हैं, जिनका लोगों पर असर है और जो ताकतवर हैं, उनसे आदमी ज्यादा उम्मीद कायम कर ले और जो लोग कमजोर हैं, उन पर आदमी को ज्यादा तवक्कुल न हो, उसी के पेशेनज़र फरमाया गया कि यह दुनिया की जो जीनत है यानि दुनिया में जो एक कशिश और असर है, उसकी तरफ आप बिल्कुल भी इरादा न फरमाइएं, उसके बाद दुनियावी एतबार से बड़े लोगों के बारे में फरमाया कि जिसका दिल हमने अपनी याद से हटा दिया है तो उसका दिल अल्लाह की याद से हट गया, यहां यह ध्यान रहे कि दिल अल्लाह तआला की इजाजत ही से हटा है, चूंकि हर चीज़ अल्लाह करता है तो इस बात को अपनी तरफ ही मन्सूब करता है कि हमने जिसके दिल को अपनी याद से हटा दिया है, आप उसकी बात न मानिये।

आयत में जिस बात के मानने से मना किया जा रहा है, वह यह थी कि वह लोग कहा करते थे कि हम आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए एक मुश्किल यह है कि आपने अपने पास उन मामूली और घटिया लोगों को जमा कर रखा है, जिनको हम कुछ भी खातिर में नहीं लाते हैं, तो हम आपके पास कैसे बैठे? पहले आप उन लोगों को हटाइये फिर हमसे बात कीजिए, ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह (स०अ०व०) को भी ख्याल होने लगा कि अगर इस तरीके से उन तक दीन

की दावत पहुंच जाती है तो अगर कुछ वक्त के लिए यह लोग करीब न रहें और अलग रहें तो बहुत बेहतर है। मजकूरा आयत में इसी को मना किया गया कि उन लोगों से यह लोग बेहतर हैं, आप उनकी बात न मानिये और फरमाया कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से हटा दिया है, जो दीन की बातें नहीं मान रहा है, आप उसकी फरमाइश कुबूल न कीजिए, वह कुछ भी कहा करें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाएगी।

Scholarship Update

मुस्लिम स्टुडेंट के लिए बहुत जरुरी जानकारी और तुरंत कागजात बनाना शुरु करने की अपील। जरुरी मालुमात.....

केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब लोगो के लिये अलग से(EWS) कॅटेगरी मे आरक्षण दिया है, जिसे (EWS-Economically Weaker Section) कॅटेगरी कहा जाता है । जिसके लिये मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग पात्र है और (EWS) के हकदार है।

ये आरक्षण हमारे समाज के आर्थिक और शैक्षणिक पिछडेपण को दूर करने मे मददगार साबित होगा। लेकीन अफसोस के (EWS) के १०%आरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज मे मालूमात की बहुत ज्यादा कमी है। इसलीये (EWS) को लेकर जागृकता और प्रचार करना जरुरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है ।

*** पात्रता***

जो मुस्लिम भाई सामान्य वर्ग से है (जनरल कॅटेगरी से है) और जिनकी सालाना उत्पन्न यानी वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये से कम है , वह इस आरक्षण के लिये पात्र है।

*** शैक्षणिक क्षेत्र मे फायदा***

सभी शिक्षण संस्थओ मे सभी कोर्सेस के लिये १०% सीट्स (EWS) कॅटेगरी के लिये आरक्षित है और फीस मे भी सहूलियात मिलती है ।-11th ,12th, diploma, graduation,Post graduation,BA,BSC,BCOM ,D.ed,B.ed ,Medical , pharmacy , nursing, enginering , polytechnic, LLB, ITI etc...

*** शासकिय नौकरियो मे फायदा***

गव्हर्नमेंट की हर नोकरी मे १०% नौकरिया (EWS) कॅटेगरी के लिये आरक्षित है। क्लास ४ से लेकरं क्लास १ (शिपाई से लेकर कलेक्टर) तक की सभी नौकरियो मे एथड आरक्षण का लाभ मिल रहा है। १०% (EWS) आरक्षण का लाभ लेने के लिये आपके पास (EWS) सर्टिफिकेट होना जरुरी है।

*** महाराष्ट्र मे (EWS) सर्टिफिकेट कैसे हासील करे ?***

(EWS) सर्टिफिकेट तहसीलदार के ऑफिस से मिलता है आपको अपने शहर या तहसील के सेतू सुविधा केंद्र या ई–सेवा केंद्र से आवेदन करना पडेगा।

*** आवश्यक दस्तावेज***

१. पालक का वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
२. लाभार्थी का आधार कार्ड
३. टी. सी. या निर्गम उतारा

नोट– (EWS) के १०% के लिहाज से लोगो को बताये और एथड बनाने मे लोगो की मदत करे। आवश्य पढे और सभी मुसलमानो तक शेअर करे। खिदमती कामो मे जिम्मेदार बनें और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट एव नोजवानों तक यह मालुमात पाहुचाये।

बेकसूर गिरफ्तार मजलूमों की मदद

इस वक्त मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन दस हज़ार मुस्लिम नवजवान सलाखों के पीछे डाल दिये गये हैं, उनकी अक्सरियत पढ़ी–लिखी है और उनके जरिये पूरे खानदान की मआशी जरूरतें पूरी हुआ करती थी। कई वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को देखने की हसरत लिए हुए दुनिया से चले गए, कई बीवियां हैं कि सालों साल से उन्होंने खुशी का चेहरा नहीं देखा, कितने ही लड़के और लड़कियां हैं जिनकी मासूम आंखें अपने वालिद के इन्तिज़ार में आंसू बहा रही हैं और घर के जिम्मेदार अफराद के जेल में चले जाने से वह न सिर्फ तालीम व तरबियत से महरूम हैं बल्कि हलक तर करना भी उनके लिए दुश्वार मरहला है। अफसोस यह है कि उन गिरफ्तार नवजवानों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की हैं जिन पर अब तक कोई फर्दे जुर्म आयंद नहीं हुआ है, पुलिस अपने झूठ को सच साबित करने से आजिज आ चुकी है, लेकिन कानून की तफसीलात और अदालत की हिदायतों के बरखिलाफ हुकूमत उन बेकुसूरों को नकरदा गुनाह की सज़ा दे रही है, बजाहिर उनका कुसूर सिर्फ मुसलमान होना और दीनदार होना है।

यह सूरतेहाल इन्तिहाई तकलीफदेह, मादरेवतन के दामने इन्साफ़ पर बदनुमा धब्बा, मुल्क की जम्हूरियत और सेक्यूलरिज्म पर जबरदस्त हमला, इन्सानी हुकूक के साथ खुला हुआ मजाक और अखलाकी अकदार की पामाली है। इसमें शुब्हा नहीं कि फिरका परस्ती का यह ज़हर जिन्दगी के तमाम शोबों में खून की तरह शामिल हो रहा है, फिर भी अदलिया का निजाम बड़ी हद तक गनीमत है और देर से ही सही मजलूमों को इन्साफ़ मिल जाता है, लेकिन यह इन्साफ भी दो पहलुओं से अधूरा है, एक तो इन्साफ में हद से गुजरी हुई ताख़ीर, जुर्म व सज़ा के मुकद्दमात के लिए एक मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए कि इस मुद्दत के अन्दर–अन्दर पुलिस अपने सुबूत पेश कर दे और मुलज़िम को अपनी सफाई का मौका मिल जाए, क्योंकि इन्साफ में देरी खुद एक नाइंसाफी है, अगर किसी शख्स की उम्र के दस–दस साल सिर्फ मामले की तहक़ीक़ में जेल में गुज़र जाएं, तो अक्सर औकात पुलिस की अजीयत रसानी और ज़हनी तनाव की वजह से ऐसा शख्स कोई काम करने के लाएक नहीं रहता और ज़राए इब्लाग की इनायत से वह इस कद्र बदनाम हो जाता है कि उसे लोग नौकरी देना पसंद नहीं करते।

दूसरे ऐसे बेकसूर लोगों को सिर्फ रिहा कर देना काफी नहीं है अदालत को चाहिए कि वह ऐसे लोगों को बेकुसूर गिरफ्तार रखे जाने का हरजाना अदा करे, उनको अच्छे शहरी होने का सर्टिफिकेट दे, उनको उनकी सलाहियत के मुताबिक मुलाज़मत मुहैया करे, तब जाकर यह खुद इन्साफ़ के साथ इन्साफ़ होगा वरना तो वह इन्साफ अधूरा ही समझा जाएगा जिनमें सालो साल नवजवानों को कैद से दो–चार रखा जाए, उनका कैरियर तबाह हो जाए और फिर उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए, लेकिन उन्हें एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ

धकेल दिया जाए
जो एक तारीक सुरंग की तरह हो और उसके आगे कोई रोशनी न हो।

इस सिलसिले में खुद मिल्लते इस्लामिया की क्या ज़िम्मेदारियां हैं? हमें इस पर भी नज़र रखनी चाहिए, रसूलुल्लाह (स०अ०व०) ने हमें सिर्फ जुल्म से बचने का ही हुक्म नहीं दिया, बल्कि मज़लूमों की मदद करने का भी हुक्म दिया है। सही बुख़ारी में हज़रत बराअ बिन आजिब (रजि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (स०अ०व०) हमें सात बातों का हुक्म दिया है, उन सात बातों में एक मज़लूम की मदद करना है। लिहाज़ा मुसलमान मुख्तलिफ़ तरीकों पर अपने मज़लूम भाइयों की मदद कर सकते है।

१– तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज़ में अपने–अपने इलाकों में सियासी नुमाइन्दों पर दबाव डालें और उनसे मांग करें कि उनका वोट इस शर्त के साथ होगा कि वह बेकसूर नवजवानों को रिहा कराने में मदद करेंगे और पुलिस को उन कानूनों का पाबन्द बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे जिन्हें कानून साजों ने पास किया है या जिनके बारे में अदालतों की हिदायतें मौजूद है।

२–जम्हूरी निज़ाम में अवामी एहतिजाज की बड़ी अहमियत है, इसलिए पूरे मुल्क में पुरअम्न एहतिजाज मुनज़्ज़म किया जाए और कानून और आईन की हदों में रहते हुए रैलियां निकाली जाएं, सेमिनार मुनज़्ज़म किए जाएं, एहतिजाजी खत लिखे जाएं और जो भी कोशिशें हो सकती हैं उनको रूए बअमल लाया जाए।

३– मुख्तलिफ़ रियासतों की सतह पर भी ऐसे बेकसूरों के लिए लीगल सेल बनाए जाएं, मुसलमान वकील इस अजीम काम के लिए अपनी मुफ्त खिदमत पेश करें, या कम से कम फीस लेने को कुबूल करें, सेक्यूलरिज्म के हामिल गैरमुस्लिम वकीलों से भी मदद ली जाए, अहले सरवत मुसलमान कानूनी चाराजोई के लिए माली तआउन पेश करें, कानूनी कोशिशों का हदफ सिर्फ उनकी रिहाई न हो, बल्कि यह भी हो कि जिन पुलिस वालों ने नवजवानों को फंसाया है, उन्हें सजा मिले, और कानूनी कार्यवाही को बीच में न छोड़ दिया जाए, बल्कि उसे नतीजे तक पहुंचाया जाए और उसके लिए लगातार जद्दोजहद की जाए।

४– जो लोग कैद हैं, उनके परिवार वालों की देख–रेख का माकूल इन्तिज़ाम किया जाए, अगर उनके बच्चे दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो दीनी मदरसों में उनके साथ खास रिआयत करें और पूरी किफालत अपने जिम्मे लें, अगर वह अली तालीम हासिल करना चाहें तो मुस्लिम इन्तिजामिया के तहत चलने वाले इदारे उनके लिए मुफ्त तालीम मुहैया करें, अगर उनकी लड़कियों की शादी का मसला हो तो मुसलमान ताजिरीन आगे बढ़कर उनके लिए जरूरी सामान मुहैया करें, ऐसे फन्ड कायम करें जिनके जरिये उनके घरवालों की जरूरतें ठीक–ठाक तरह से पूरी हो जाएं, अगर उनके बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनकी सलाहियत के लिहाज़ से उनके लिए रोजगार फराहम करने की कोशिश की जाए, एक ऐसी मिल्लत जो बीस करोड़ लोगों पर मुश्तमिल हो, अगर वह अपनी कौम के सितम रसीदा, मज़लूम और मुसलमान होने की वजह से सताए जाने वाले दस हजार घरों की किफ़ालत न कर सके तो इससे बढ़कर गैरत की और क्या बात होगी?

५–इन कामों के लिए मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म इदारे की बुनियाद रखनी चाहिए या मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ तन्जीमों को ख़ालिस दीनी और मिल्ली जज्बे के साथ इस काम का बेड़ा उठाना चाहिए, अफ़सोस है कि हमारा एक मर्ज़ यह हो गया है कि अगर मुसीबत के वक्त अल्लाह की तौफीक से हमसे कुछ काम हो जाता है तो उसके लिए यह झगड़ा उठ खड़ा होता है कि इस काम में किसका कितना हिस्सा है? होना यह चाहिए कि अगर अल्लाह किसी से कुछ काम ले ले तो हम अपनी खिदमात को अख़बारों के पन्नों पर मीडिया की स्क्रीन पर रकम करने के बजाए अल्लाह के रजिस्टर में दर्ज करवाने को तैयार हो जाएं, अगर ऐसा हो तो हम दुनिया में भी एक बाइज़्ज़त कौम की तरह जी सकते हैं और आख़िरत में भी अल्लाह की खुशनूदी से हमकिनार हो सकते हैं।

हमें यह याद रखना चाहिए कि साम्प्रदायिक दंगे, धमाके और उन धमाकों के नाम पर बड़ी तादाद में

बेकुसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी कोई इत्तिफ़ाकी वाक्या नहीं है बल्कि यह एक मन्सूबाबन्द साज़िश है जिसका मकसद मुसलमानों की हिम्मत को तोड़ना, उन्हें अकेला व तन्हा कर देना, उन्हें रुस्वा व ख्वार करना, उनको एक बेअसर एहसासे कमतरी से दोचार बेहौसला, मकावमत के जज़्बे से ख़ाली, शिकस्त की नफिसयात से दोचार, गरीब व मुफ़लिस, जाहिल व अनपढ़, अपनी तारीख पर शर्म सार और अपने दीन से बेजार अक्लियत बनाकर रखना है, अगर हमने इज्तिमाइयत, मोमिनाना फ़रासत, जुर्रत व हिम्मत, खतरों का मुकाबला करने की हिम्मत, ईमानी भाईचारा, अल्लाह से ताल्लुक, एक दाई की हैसियत से बिरादराने वतन के साथ हुस्ने सुलूक और जो मौका मिला है, उससे भरपूर फायदे के साथ अपने क़दम आगे नहीं बढ़ाए तो मंजिल दूर से दूर होती चली जाएगी और हमारी मजलूमियत की दास्तान भी दराज से दराज तर होती चली जाएगी, ज़रूरी यह है कि हम अपने चेहरे से गफलत की चादर उठाएं, शऊर की आंखें खोलें, अज्म व हौसले को अपना हथियार बनाए और इज्तिमाइयत का तरीकाकार अपनाए।

जाहिदाना ज़िन्दगी

आप शहंशाहे कौनैन और ताजदारे दो आलम होते हुए ऐसी जाहिदाना और सादा ज़िन्दगी बसर फरमाते थे कि तारीखे नुबूब्बत में इस की मिसाल नहीं मिल सकती। खुराक– पोशाक, मकान–ने सामान, रहन सहन गरज हयाते मुबारका के हर गोशे में आप का जुहद और दुनिया से बे रगबती का आलम इस दर्जे नुमायाँ था कि जिसको देखकर यही कहा जा सकता था कि दुनिया की नेअमतें और लज़्ज़तें आपकी निगाहे नुबूब्बत में एक मच्छर के पर से भी ज़्यादा ज़लील व हकीर है।

हज़रते आइशा रजियल्लाहु अन्हा का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिन्दगी में कभी तीन दिन लगातार ऐसे नहीं गुजरे कि आपने शिकम सैर होकर रोटी खाई हो । एक एक महीने तक काशान ए नुबूब्बत में चूल्हा नहीं जलता था। और खजूर व पानी के सिवा आप के घर वालों की ई दूसरी खुराक नहीं हुआ करती थी। हालांकि अल्लाह तआला ने आपसे फरमाया कि '' ऐ हबीब! अगर आप चाहें तो मैं मक्का की पहाड़ियों को सोना बना दूं।'' मगर आपने इसको पसन्द नहीं किया। और बारगाहे खुदावंदी में अर्ज किया कि'' ऐ मेरे रब! मुझे यही ज़्यादा महबूब है कि मैं एक दिन भूका रहूँ और एक दिन खाना खाऊँ। ताकि भूक के दिन खूब गिड़ गिड़ाकर तुझ से दुआएँ माँगू। और आसूदगी के दिन तेरी हम्द करूँ और तेरा शुक्र बजा लाऊँ।

हज़रते आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर सोते थे वो चमड़े का गद्दा था जिस में रुई की जगह दरख्तों की छाल भरी हुई थी।हज़रते हफसा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मेरी बारी के दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मोटे टाट पर सोया करते थे जिसको में दो तह कर के बिछा दिया करती थी।

एक मर्तबा मैं ने उस टाट को चार बार तह करके बिछा दिया तो सुबह को आपने इर्शाद फरमाया कि पहले की तरह इस टाट को तुम दोहरा करके बिछा दिया करो। क्योंकि मुझे अन्देशा है कि इस बिस्तर की नर्मी से कहीं मुझ पर गहरी नींद का हम्ला हो जाए तो मेरी नमाजे तहज्जुद में खलल पैदा हो जाएगा।

रिवायत है कि कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ऐसी चारपाई पर भी आराम फरमाया करते थे जो खुरदुरे बान से बुनी हुई थी। जब आप बिगैर बिछौने के इस चारपाई पर लेटते थे तो जिस्मे नाजुक पर बान के निशानात पड़ जाया करते थे।

(शिफा शरीफ जि. १ स. ८२ व ८३)

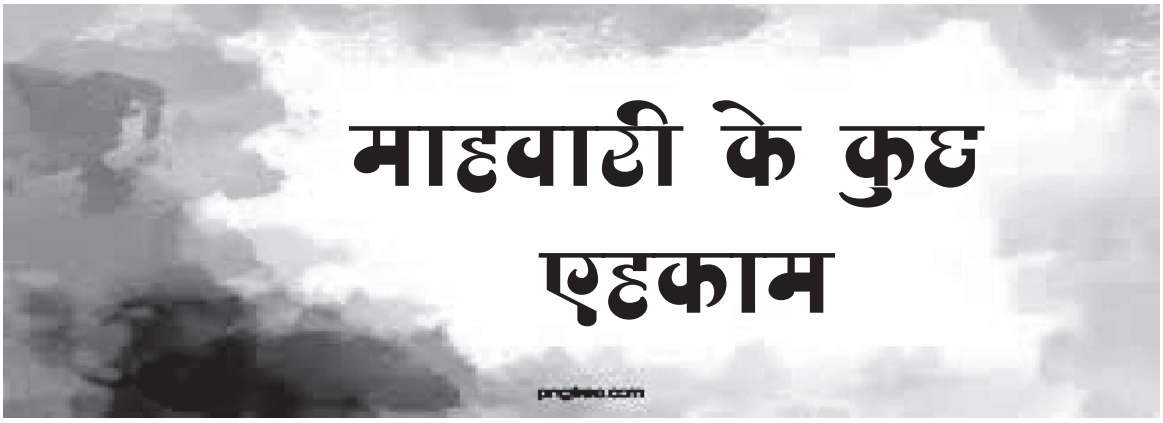

माहवारी के कुछ एहकाम

बालिग होने के बाद औरतों की शर्मगाह से खून आना शुरू होता है। जो अल्लाह तआला के फितरी निज़ाम के तहत है। नबी करीम स०अ० ने इसके बारे में फरमायाः ''ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तआला ने आदम अलै० की बेटियों पर मुकर्रर कर दी है।'' **(बुखारी/मुस्लिम)** इसका सिलसिला बालिग होने से शुरू होता है और बालिग होने की कोई तय उम्र नहीं है। इसलिये कि इसका दारोमदार वातावरण, खाद्य पदार्थ और इन्सानी मिजाज पर होता है। लेकिन फुक्हा ने लिखा है कि ये खून ९ साल से पहले नहीं आ सकता है। अगर इससे पहले आये तो ये फितरी निज़ाम के तहत आने वाला खून यानि हैज़ नहीं है बल्कि किसी बीमारी के तहत है लिहाजा इस पर हैज़ के एहकाम जारी नहीं होगे। **(हिन्दियाः १/३६)** इस खून का आना औरत के सेहतमन्द होने की पहचान है। इसका न आना या आने में किसी रूकावट का पैदा होना बीमारी की अलामत है। इसीलिये हकीम इत्यादि सख्ती से मना करते हैं कि इसको रोकने की कोशिश न की जाये। वरना बड़ी–बड़ी बीमारियों के पैदा होने का खतरा रहता है। इसी खून से मां के पेट में बच्चे की बढ़ोत्तरी होती है। इसीलिये गर्भ की हालत में इस खून का आना बन्द हो जाता है। इसके कुछ ज़रूरी एहकाम हम नीचे लिख रहे हैं। ये ये बात साफ करना ज़रूरी है कि हैज़ के कुछ एहकाम है, कई बार बड़ी बारीकियां पैदा हो जाती हैं, जिनको लिखना मुनासिब भी नहीं मालूम होता है, लिहाजा अगर बहनों को इस सिलसिले में कोई परेशानी महसूस हो तो किसी मोतबर आलिम से अपने घरवालों के ज़रिये मालूमात हासिल कर लिया करे।

हैज़ की परिभाषाः

हैज़ (माहवारी) का शाब्दिक अर्थ सीलान यानि बहने का है। और शरीअत की इस्तलाह में उस खून को कहते हैं जो बालिग औरतों की शर्मगाह से हर माह (नौ साल से लेकर पचपन साल की उम्र तक) आता है। **(शामीः २०७/१, हिन्दियाः १/३६)**

हैज़ का अधिकतम व न्यूनतम समयः

हैज़ की कम से कम मुद्दत तीन दिन तीन रात है, और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत दस दिन दस रात है। **(हिन्दियाः १/३६, शामीः १/३७)** इसीलिये दारेकुतनी में हज़रत अबूअमामा बाहली रजि० नबी करीम स०अ० से रिवायत करते हैं कि आप स०अ० ने फरमायाः 'कुंवारी और शादीशुदा दोनों का हैज़ कम से कम तीन दिन होता है और ज्यादा से ज्यादा हैज दस दिन होता इससे मालूम होता है कि अगर किसी औरत को एक दिन या दो दिन खून आकर बन्द हो गया तो ये हैज़ का खून नहीं है, न ही उस परहेज के एहकाम जारी होंगे, इसी तरह दस दिन से ज्यादा खून आये तो ये भी हैज़ का खून नहीं होगा, न ही उस पर हैज के एहकाम जारी होंगे।' **(हिन्दियाः १/३६)**

पाकी का अधिकतम व न्यूनतम समयः

एक हैज़ के ख़त्म होने के बाद जब औरत हैज़ से पाक हो जाती है तो पाकी के उस ज़माने को तहर की मुद्दत' कहा जाता है। पाकी की कम से कम मुद्दत पन्द्रह दिन मुकर्रर की गयी है। इसका मतलब ये है कि किसी औरत को तीन दिन या उससे ज्यादा का हैज़ आया, फिर पन्द्रह दिन गुज़रे भी नहीं थे, सिर्फ बारह–तेरह दिन गुजरे थे कि दोबारा फिर खून आने लगा तो ये हैज़ का खून नहीं है।

बीमारी की वजह से है, लिहाजा इस पर हैज़ के एहकाम जारी नहीं होंगे, यद्यपि अगर एक बार तीन दिन या उससे ज्यादा का हैज़ आया, फिर पन्द्रह दिन पाकी रही उसके बाद फिर खून आने लगा तो दूसरा हैज माना जायेगा। **(शामी: १/२०९)** पाकी के अधिकतम समय की कोई हद बन्दी शरीअत में नहीं की गयी है, लिहाजा जब तक उसको खून नहीं आ रहा है, उसे पाक समझा जायेगा, यहां तक कि अगर पूरी उम्र खून न आये तो पूरी उम्र उसको पूरी उम्र पाक समझा जायेगा।

हैज़ के खून का रंगः

हैज़ की मुद्दत के अन्दर सुर्ख ज़र्द, हरा, मटियाला, काला और गुदला जिस रंग का भी खून आये वह हैज़ ही माना जायेगा। लेकिन अगर सफेद माद्दा निकले तो वह हैज नहीं है। **(शामीः १/२११)** इसलिये कि हज़रत आयशा रजि० के पास औरतें थैली में शर्मगाह पर रखी जाने वाली रूई इत्यादि रखकर भेजती थीं जिस पर ज़रदी होती थी तो हज़रत आयशा रजि० फरमाती थीं: जल्दी न करो यहां तक कि सफेद रूई देख लो।' जब खून आदत के दिनों से बढ़ जाये अगर किसी औरत के हैज़ की आदत तीन चार या पांच दिन थी, फिर किसी महीने में उससे ज्यादा दिन तक खून आया, तो उसकी दो

१. अगर दिन आदत से बढ़ने के साथ–साथ ये खून दस दिन से भी बढ़ गया तो हैज़ सिर्फ आदत के दिनों के दौरान आने वाले खून को करार दिया जायेगा। इससे बढ़ जाने वाले सभी दिनों का खून इस्तहाज़ा यानि बीमारी का खून होगा और उसके एहकाम हैज़ के नहीं होंगे।

२. दूसरी सूरत ये होगी कि आदत के दिनों से तो खून बढ़ा लेकिन दस दिनों के अन्दर–अन्दर रहा, दस दिन से नहीं बढ़ा तो ये सभी दिन हैज के होंगे और ये माना जायेगा कि इस औरत की हालत बदल गयी है। **(शामीः २०८–२०९/१)** और अगर किसी लड़की को पहली ही बार खून आया और दस दिन से बढ़ गया तो दस दिन हैज़ के होंगे और बाकी सभी दिन बीमारी यानि इस्तहाज़ा के होंगे।

अगर खून रुक–रुक आयेः अगर तीन दिन या उससे ज़्यादा दिन खून आये, फिर पन्द्रह या पन्द्रह दिन से ज्यादा तक पाकी रहे, इसके बाद तीन दिन या उससे ज्यादा खून आये तो शुरू और बाद में आने वाला खून हैज़ का माना जायेगा और पन्द्रह दिन पांकी के माने जायेंगे और अगर शुरू या बाद में आने वाला खून तीन दिन से कम जारी रहे तो वो इस्तहाजा का खून माना जायेगा और इस पर हैज के एहकाम जारी नहीं होंगे। और अगर किसी ऐसी औरत ने जिसको महीने के किसी खास हिस्से में खून आया करता था, अपने आदत के दिनों से एक दिन पहले खून देखा, फिर दस दिन तक पाक रही, फिर एक दिन फिर खून देखा तो उसकी आदत के सभी दिन हैज़ की हालत के समझे जायेंगे, जबकि उन दिनों में खून नहीं आया है। उसके बावजूद ये हुक्म होगा। इसी से समझा जा सकता है कि हैज़ के दिनों में खून न आये तब भी औरत शरीअत के एतबार से हैज़ की हालत में होती है। शर्त ये है कि पाकी से पहले और बाद में दम आया हो और पाकी की मुद्दत चौदह दिन से कम रही हो। **(शामी: २१२/१)**

हैज़ के ख़ास एहकामः

हैज़ की हालत में निम्नलिखित चीजें शरीअत में मना है।

१– हैज़ की हालत में बीवी से सम्भोग करना हराम है। जब तक वो पाक न हो जाये। साथ में खाना, पीना, लेटना जायज़ है, लेकिन सम्भोग की मनाही है। इसलिये कि कुरआन मजीद में है। ''दीजिए कि वो एक गन्दगी है, तो हैज़ में औरतों से अलग रहो, और वो जब तक पाक न हो जायें उनको करीब मत करो, तो जब वो पाक हो जाएं तो जैसे तो जैसे अल्लाह ने तुम्हें बताया है उसके मुताबिक तुम उनसे संबंध स्थापित करो।'' **(सूरह बकराः २२२)** अगर किसी से ये गुनाह हो जाये तो वह अल्लाह से तौबा व इस्तिगफार करे, वाजिब तौर पर इसका कोई कफ्फारा नहीं है, लेकिन हदीस में कफ्फारे का जिक्र आता है, लिहाजा मुस्तहब ये है कि ये गुनाह अगर गहरे सुर्ख रंग का खून आने के ज़माने में हो जाए तो एक दीनार (४ ग्राम, ३७४ मिलीग्राम) सोना, और पीले रंग का खून आने के ज़माने में हो जाए तो आधा दीनार (२ ग्राम, १८७ मिलीग्राम) या उसकी कीमत गरीबों पर सदका करे।

२– नमाज़, हर तरह के सजदे, तिलावते कुरआन, तवाफ़, कुरआन मजीद छूना, और मस्जिद में दाखिल होना हाएज़ा (ऐसी औरत जिसे हैज़ आ रहा हो) के लिये मना है। जबकि ज़िक्र, अज़कार और दुआ करना जायज़

है। यहां तक कि दुआ के तौर पर कुरआन की कोई आयत भी पढ़ सकती है। अगर कुरआन पढ़ाने वाली मुअल्लिमा हैज़ की हालत में हो तो वो पूरी आयत के बजाए एक–एक कलिमा कर के पढ़ाए। **(शामी२१३–२१५)**

३– हैज़ की हालत में रोज़ा रखना भी मना है, लेकिन फर्क ये है कि रोजों की बाद में कजा करना जरूरी है, जबकि हैज़ के दिनों की नमाजें माफ हो जाती हैं और उनकी कजा नहीं है। **(शामीः २३१/१)**

४– इस हालत में कुरआन मजीद लिखना मना है। इसी तरह किसी ऐसी किताब का लिखना भी मना है जिसकी बहुत सी लाइनों में कुरआन की बहुत सी आयतें लिखी हुई हो। **(हिन्दियाः ३९/१)** इसी तरह इस हालत में कुरआन करीम को टाइप मशीन में टाइप करना या कम्प्यूटर में कम्पोज़ करना भी मकरूह है। कुरआन करीम की महानता का तकाजा ये है कि कामिल पाकी के बाद ही उसका काम अन्जाम दिया जाये। **(किताबुल मसाएलः २१०/१)**

५– जब ये हालत ख़त्म हो जाये तो गुस्ल करना फर्ज़ है। **(हिन्दियाः १/३९)**

हैज़ की हालत में दीनी किताबों का पढ़ना और दर्स देनाः

नापाकी के दिनों में दीनी किताबों का पढ़ना, अध्ययन करना और दर्स देना जायज़ है लेकिन उनमें जहां कुरआन करीम की आयत लिखी हुई हो उस जगह हाथ लगाना या वो आयत ज़बान से पढ़ना जायज़ नही। **(शामीः१/१३०)**

जब नमाज़ पढ़न के दौरान हैज़ आ जायेः

अगर फर्ज़ नमाज़ पढ़ने के दौरान हैज़ आ गया तो वो नमाज़ बिल्कुल माफ हो जायेगी, लेकिन अगर नफिल पढ़ने के दौरान हैज़ आ गया तो बाद में उसकी कज़ा करना ज़रूरी है। **(शामी–१/२१३)** और अगर किसी नमाज़ के आखिरी वक्त में हैज आ गया और उसने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तब भी ये नमाज़ माफ़ हो जायेगी, बाद में इसकी कज़ा नहीं है। **(एज़न)**

इन्तिकाए दम के बाद के कुछ एहकामः

१– अगर दस दिन हैज़ आने के बाद किसी नमाज़ के आखिरी वक्त में खून बन्द हुआ, लेकिन अभी इतना वक्त बाकी है कि 'अल्लाहु अकबर' यानि तकबीरे तहरीमा कह सकती थी तो उस पर नमाज़ की कजा लाज़िम होगी।

२– अगर दस दिन से कम हैज़ किसी नमाज़ के वक्त बन्द हो गया और अभी इतना वक्त बाकी है कि गुस्ल करके तकबीर कही जा सकती है तो ये नमाज़ उस पर फर्ज़ होती है।

३– अगर किसी की आदत पांच दिन खून आने की है और चार दिन खून आकर बन्द हो गया यानि उसकी हमेशा की जो आदत है उससे पहले बन्द हो गया तो उस पर एहतियाती तौर पर ये ज़रूरी है कि गुस्ल करे और नमाज़ शुरू कर दे। लेकिन जब तक आदत के दिन पूरे न हो जाएं सम्भोग करना जायज़ नहीं होगा। **(शामीः१/२१५–२१८)**

४– अगर दस दिन पूरे होने के बाद रमज़ानुल मुबारक की रात के आखिरी हिस्से में पाक हुई। सुबह सादिक होने में सिर्फ अल्लाहुअकबर कहने का वक्त बचा था, तो उस दिन का रोज़ा रखना मोतबर होगा। और अगर दस दिन से कम में खून बन्द हुआ है तो अगर सुबह सादिक में इतना वक्त बाकी हो कि गुस्ल करके तकबीरे तहरीमा कह सकती है तो उस दिन का रोज़ा रखना मोतबर होगा वरना उससे कम बाकी हो तो वो उस दिन का रोज़ा नहीं रख सकती। **(शामीः१/२१७, किताबुल मसाएलः १/२०८)**

इबरत की बातें

(१) हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रजि० ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! हज़रत मूसा अलैहि० के सहीफ़े क्या थे? आप सल्ल० ने फ़रमाया कि उनमें सब इबरत की बातें थीं (मसलन उनमें यह मज़मून भी था कि): १. मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे मौत का यक़ीन है और वह फिर खुश होता है। २. मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे जहन्नम का यकीन है और वह फिर हँसता है। ३. मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे तक़दीर का यकीन है और वह फिर अपने आप को बिला ज़रूरत थकाता है। ४. मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसने दुनिया को देखा और यह भी देखा कि दुनिया आनी–जानी चीज़ है, एक जगह रहती नहीं और फिर मुत्मइन होकर उससे दिल लगाता है। ५. मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे कल कियामत के हिसाब किताब पर यकीन है और फिर अमल नहीं करता। **(हयातुस सहाबा, जिल्द ३, सफ़ा ५५६)**

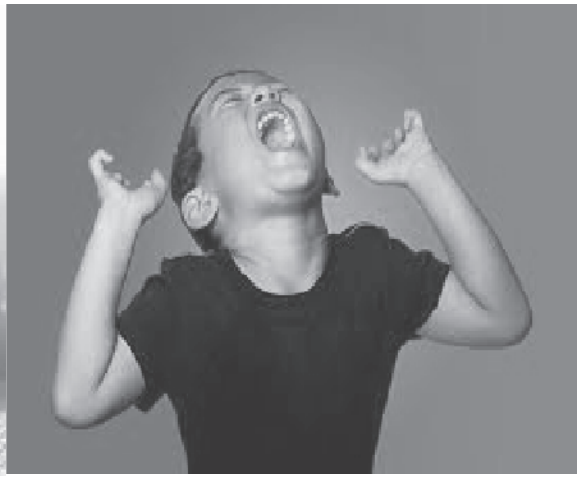

औलाद के बिगड़ने का जिम्मेदार कौन ?

उमूमन देखा गया है कि बिगड़ी हुई औलाद के वालिदैन इस की जिम्मादारी एक दूसरे पर आइद कर के खुद को बरिय्युज़िम्मा समझते हैं मगर याद रखिये औलाद की तरबिय्यत सिर्फ मां या महज़ बाप की नहीं बल्कि दोनों की ज़िम्मादारी है। अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है : ''ऐ ईमान वालो अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस के ईधन आदमी और पत्थर हैं उस पर सख्त (ताक़तवर) फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वो ही करते है।'' जब नबिय्ये अकरम, नूरे मुजस्सम स्व० ने येह आयते मुबारका सहाबए किराम रजि० के सामने तिलावत की तो वोह यूं अर्ज गुज़ार हुए : या रसूलल्लाह स्व० हम अपने अहलो इयाल को आतशे जहन्नम से किस तरह बचा सकते हैं? सरकारे मदीना स्व० ने इर्शाद फ़रमाया : तुम अपने अहलो इयाल को उन चीज़ों का हुक्म दो जो अल्लाह को महबूब हैं और उन कामों से रोको जो रब तआला को ना पसन्द है। और हुज़ूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक स्व० का फ़रमाने अज़मत निशान है : तुम सब निगरान हो और तुम में से हर एक से उस के मा तहत अफ़ाद के बारे में पूछा जाएगा। बादशाह निगरान है, उस से उस की रिआया के बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने अहलो इयाल का निगरान है उस से उस के अहलो इयाल के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने खावन्द के घर और औलाद की निगरान है उस से उन के बारे में पूछा जाएगा।

तरबिय्यते औलाद की अहम्मिय्यत

अगर हम इस्लामी अक्दार के हामिल माहोल के मुतमन्नी (यानी ख्वाहिशमन्द) हैं तो हमें अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने बच्चों की तरबिय्यत भी करनी होगी क्यूं कि अगर हम तरबिय्यते औलाद की अहम जिम्मादारी को बोझ तसव्वुर कर के इस से गलत बरतते रहे और बच्चों को इन ख़तरनाक हालात में आज़ाद छोड़ दिया तो नफ्सो शैतान उन्हें अपना आलए कार बना लेंगे जिस का नतीजा यह होगा कि नफ़्सानी ख्वाहिशात की आंधियां उन्हें सहराए इस्यां (यानी गुनाहों के सहरा) में सरगर्दी रखेंगी और वोह उने अज़ीज़ के चार दिन आख़िरत बनाने की बजाए दुन्या जम् पाक करने में सर्फ कर देंगे और यूं गुनाहों का अम्बार लिये वादिये मौत के कनारे पहुंच जाएंगे। रहमते इलाही शामिले हाल हुई तो मरने से पहले तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाएगी व वरना दुन्या से कफ़े अपसोस मलते हुए निकलेंगे और कब्र के गढ़े में जा सोएंगे। सोचिये तो सही कि जब बच्चों की तरबिय्यत नहीं होगी तो वोह मुआशरे का बिगाड़ दूर करने के लिये क्या किरदार अदा कर सकेंगे, जो खुद डूब रहा हो वोह दूसरों को क्या बचाएगा, जो खुद ख़्वाबे गफलत में हो वोह दूसरों को क्या बेदार करेगा, जो खुद पस्तियों की तरफ़ महूवे सफ़र हो वोह किसी को बुलन्दी

का रास्ता क्यूंकर दिखाएगा।

साहिबे औलाद !आप की औलाद, आप के जिगर का टुकड़ा और अपनी मां की आंखों का नूर सही लेकिन इस से पहले अल्लाह का बन्दा, नबिय्ये करीम स्व० का उम्मती और इस्लामी मुआशरे का अहम फ़र्द है। अगर आप की तरबिय्यत इसे अल्लाह की बन्दगी, सरकारे मदीना स्व० की गुलामी और इस्लामी मुआशरे में इस की ज़िम्मादारी न सिखा सकी तो उसे अपना फ़रमां बरदार बनाने का ख्वाब देखना भी छोड़ दीजिये क्यूं कि यह इस्लाम ही है जो एक मुसल्मान को अपने वालिदैन का मुतीओ फ़रमां बरदार बनने की तालीम देता है । इस लिये औलाद की ज़ाहिरी जैबो जीनत, अच्छी गिजा, अच्छे लिबास और दीगर ज़रूरिय्यात की कफ़ालत के साथ साथ इन की अख़्लाक़ी व रूहानी तरबिय्यत के लिये भी कमर बस्ता हो जाइये।

क्या बेटा भी बाप को मारता है?

तम्बीहुल गाफ़िलीन में है कि समर कन्द के एक आलिम अबू हफ्स के पास एक शख्स आया और कहने लगा : मेरे बेटे ने मुझे मारा है और तक्लीफ़ दी है। उन्हों ने हैरानी से पूछा : क्या कभी बेटा भी बाप को मारता है ? उस ने जवाब दिया : जी हां ! ऐसा हुवा है। अबू हफ्स रह०, ने दर्याफ्त किया : क्या तूने उसे इल्मो अदब सिखाया है ? उस शख्स ने नफ़ी में जवाब दिया। आप ने पूछा : कुरआने करीम सिखाया है? उस ने फिर नफ़ी में जवाब दिया तो आप ने पूछा फिर वोह क्या करता है ? उस ने बताया : वोह खेतीबाड़ी करता है। अबू हफ्स रह० ने फ़रमाया : क्या तुझे मालूम है । कि उस ने तुझे क्यूं मारा है ? उस ने कहा : नहीं। अबू हफ्स रह०, ने उस पर चोट की : मेरा ख़याल तो येह है कि जब सुब्ह के वक्त वोह गधे पर सुवार हो कर खेत की तरफ जा रहा होगा, बेल उस के आगे और कुत्ता उस के पीछे होगा, कुरआन उसे पढ़ना आता नहीं लिहाजा वोह कुछ गुनगुना रहा होगा, ऐसे में तुम उस के सामने आए होगे। उस ने समझा होगा कि गाय है और तुम्हारे सर पर कोई चीज़ दे मारी होगी, शुक्र करो कि तुम्हारा सर नहीं फोड़ दिया।

तिब्बे नबवी (स्व०)

खाना–पीने में बेबरकती:

हजरत आइशा सिद्दीका रजि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने फरमाया है कि खाने में फूंक मारने से बरकत जाती रहती है। यह रिवायत कन्जुलइबाद से नकल की गयी है।

कमखाने के फायदे :

किताबुत्तिब में अबू नईम ने लिखा है कि नबी सल्ल० ने फरमाया कि पेट से बड़ा बर्तन अल्लाह ने कोई पैदा नहीं किया। इन्सान को चाहिए कि जब खाए तो उसके तीन हिस्से करे। इस तरह कि एक हिस्सा खाने और एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के आने–जाने के लिए छोड़ दे। इस हदीस से पता चला कि यदि किसी की खुराक तीन पाव के बराबर है तो उसको एक पाव खाना चाहिए ताकि सेहत बनी रहे और हकीकत यही है कि कम खाने के बहुत–से फायदे हैं जिनमें कुछ यह हैं– आम तौर से सेहत ठीक रहती है। हाफिजा और अकल तेज़ रहती है जरूरत से ज्यादा नींद नहीं आती। सांस आसानी से आता है। नमाज़ में काहिली और नींद नहीं आती।

ज्यादा खाने के नुकसान:

ज्यादा खाने से बहुत–से रोग पैदा हो जाते हैं जैसे बदहज़मी और हैजा की शिकायत हो जाती है। इसीलिए नबी सल्ल० को डकार से बड़ी सख्त नफरत थी। आप फरमाते थे कि इतना ज्यादा क्यों खा जाते हो। दूसरा नुकसान ज्यादा खाने का यह है कि इबादत में मजा नहीं आता और ज्यादा खाने से औलाद कम अक्ल पैदा होती है। ऐसा आदमी अल्लाह की ओर से हिकमत की बात से महरूम रहता है। उसका पढ़ने–लिखने में दिल नहीं लगता। ऐसे आदमी में मुहब्बत व दया नहीं होती और वह सब को अपने ही जैसे पेट भरा समझता है। नेक लोग मस्जिद की ओर जाते हैं तो उसका रुख पाखाने की और होता है।

वक्त की कद्र करो।

नेक काम को मत टलाओ

हज़रत हसन बसरी रह० का इरशाद यह है कि: ऐ आदम के बेटे, टाल मटोल से बचो। यानी इन्सान का नफ़्स हमेशा नेक अमल को टालता रहता है कि अच्छा यह काम कल से करेंगे, परसों से करेंगे। ज़रा फुर्सत मिलेगी तो कर लेंगे। ज़रा फलां काम से फ़ारिग हो जायें तो फिर कर लेंगे। यह टलाना अच्छा नहीं। इसलिये फरमाया कि किसी नेक काम को मत टलाओ। इसलिये कि जिस काम को टला दिया वह टल गया। काम करने का तरीका यह है कि आदमी उस काम के लिए एहितमाम करे।

दिल में अहमियत हो तो वक्त मिल जाता है:

मेरे एक उस्ताज़ ने अपना वाकिआ सुनाया कि हज़रत मौलाना खैर मुहम्मद साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के बड़े खुलफ़ा में से थे। एक मर्तबा उन्हों ने मुझ से शिकायत की कि आप कभी हमारे पास आते ही नही। न राबता रखते हैं और न ख़त लिखते हैं। तो जवाब में मैंने कहा कि हज़रत, फुर्सत नहीं मिलती। हज़रत मौलाना खैर मुहम्मद साहिब ने फ़रमाया कि देखो, जिस चीज के बारे में यह कहा जाता है कि फुर्सत नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि उस चीज़ की और उस काम की अहमियत दिल में नहीं। क्योंकि जिस काम की अहमियत दिल में होती है आदमी उस काम के लिये वक्त और फुर्सत ज़बरदस्ती निकाल ही लेता है। और जो शख्स यह कहे कि मैं ने फलां काम इसलिये नहीं किया कि फुर्सत नहीं मिली, तो मतलब यह है कि उस काम की अहमियत दिल में नही।

अहम काम को फौकियत दी जाती है:

हमेशा यह बात याद रखो कि जब आदमी के पास बहुत सारे काम जमा हो जाएं तो अब ज़ाहिर है कि एक वक्त में वह काम एक ही करेगा। या उसे करेगा या इसे करेगा। सब काम तो एक साथ कर नहीं सकता। तो उस वक्त आदमी उसी काम को पहले करेगा जिसकी अहमियत दिल में ज़्यादा होगी। या एक शख्स एक काम कर रहा था उस वक़्त उसके पास कोई दूसरा काम आ गया, जो पहले काम से ज्यादा अहम है, तो वह पहले काम को छोड़ कर दूसरे काम में लग जायेगा। जिसका मतलब यह है कि जिस काम की अहमियत दिल में होती है, आदमी उस काम के लिए वक्त निकाल ही लेता है। जैसे आप बहुत से कामों में मशगूल हैं, उस वक्त प्रधान मन्त्री का पैगाम आ जाए कि आपको बुलाया है, तो क्या उस वक्त भी यह जवाब दोगे कि बहुत मसरूफ हूं, मुझे फुर्सत नही। वहां तो यह जवाब आप नहीं देंगे, क्यों? इसलिये कि आपके दिल में उसकी अहमियत है। और जिस चीज़ की अहमियत होती है आदमी उसके लिए वक़्त और फुर्सत निकाल ही लेता है। इसलिये नेक आमाल को फुर्सत पर टलाना कि जब फुर्सत मिलेगी तो करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उसकी अहमियत दिल में नही। जिस दिन दिल में अहमियत आयेगी उस दिन सब फुर्सत मिल जायेगी, इन्शा–अल्लाहु तआला।

तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है

आगे क्या अजीब जुम्ला इरशाद फरमाया:

यानी आज का दिन तुम्हारे पास यकीनी है कल का दिन तुम्हारे पास यकीनी नही। क्या किसी को इस बात का यकीन है कि कल जरूर आयेगी? जब कल का दिन यकीनी नहीं है तो जो काम ज़रूरी है वह आज ही के दिन कर लो, पता नहीं कल आयेगी या नही। और यह यकीन मत करो कि कल जरूर आयेगी। बल्कि यह मान कर काम करो कि कल नहीं आनी है। इसलिये जो भी ज़रूरी काम करना है वह आज ही करना है। अगर कल का दिन मिल जाए, और कल आ जाए तो कल के दिन भी ऐसे ही हो जाओ, जैसे आज हुए थे। यानी उस दिन के बारे में यह यकीन कर लो कि यह आज का दिन मेरे पास है कल का दिन नहीं है। और अगर वह कल न आई तो कम से कम तुम्हें यह पछतावा नहीं होगा कि मैंने कल का दिन जाया कर दिया। इसलिये हर दिन को अपनी ज़िन्दगी का आखरी दिन ख्याल करो।

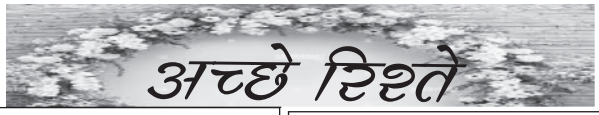

नाम: सायमा अब्दुल कादर शेख
जन्मतारीख: २६/०३/१९९३
उंची: ५ फूट ३ इंच , रंग: गोरा
पढाई: डी.एड, बी.एस्सी, बी.एड
बाप का नाम: अब्दुल कादर शेख
(रिटायर्ड ग. टिचर)
माँ का नाम: आसमाँ अब्दुल कादर शेख
भाई: १- शादीशुदा, बहन: २- शादीशुदा
पत्ता: मु.पो. रूकडी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर
मो: ९९२२८०९०२२

नाम: परवेज आलमगीर मखमल्ला
जन्मतारीख: २९/०९/१९९७
पढाई: आय.टी.आय इलेक्ट्रिकल
काम: इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर
उंची: ५ फूट ९ इंच
बाप का नाम: आलमगीर मकबूल मखमल्ला
माँ का नाम: आयेशा आलमगीर मखमल्ला
भाई: नहीं , बहन: नहीं
पता: मु.पो. आलास, ता: शिरोळ, जि. कोल्हापूर
मो: ९९२२४६९२०१
७२४९२१२७९६
रिश्तेदार: फराज,फकीर,जमादार,खतीब,मकानदार, मुजावर

नाम: जमीर जैनुद्दीन पट्टेवाले
उम्र: ३५ साल
उंची: ५ फूट ५ इंच
भाई: १ , शादीशुदा
काम: फॅब्रिकेशन
बाप का नाम: जैनुद्दीन पट्टेवाले
जमीन: १ गुंठा जमीन, खुद का घर
पत्ता: मु.पो. राजापूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर
मो: ७२७६२५६७२१

नाम: आरीफा रफीक तांबोळी
मॅरीटल स्टेटस: कुँवारी
जन्म तारीख: ०५/०८/१९९०
उंची: ५ फूट २ इंच, रंग: गोरा
पढाई: बी.ए
बाप का नाम: रफीक अब्दुलकरीम तांबोळी
माँ का नाम: शाहीदा रफीक तांबोळी
बहन: १, शिरीन सरफराज शेख
भाई: १, राहील रफीक तांबोळी
पता: गंगावेश, कोल्हापूर
मो: ९०२८८४२२२०
९०२८०७२४२४
रिश्तेदार: शिकलगार, तांबोळी,

नाम: अफशान जावेद सनदी

मॅरीटल स्टेटस: कुँवारी

जन्म तारीख: २७ /११/१९९६

उंची: ५ फूट ४ इंच, रंग: गोरा

पढाई: बी.एस.सी. मॅथ्स, एम.बी.ए. (फायनान्स)

बाप का नाम: जावेद बादशाह सनदी (इंजि.) ऐव्हरी इंडिया चेअरमन ऑफ स्वास्तिक इंडस्ट्रिज अॅण्ड समय रिसर्च इंडस्ट्रिज

माँ का नाम: गर्व्हमेंट सर्व्हंट प्रायमरी टिचर

भाई: १, बी.बी.ए. पी.जी.डी.एम. एम.बी.ए. पी.जी.पी.एम.

पता: ३३६६-बी.-११ गिरीश सिनेमा हॉलजवळ, कुरुंदवाड, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर
मो: ९६२३२००६००, ७७९८११०५७०

लडका वेल एज्युकेटेड, कम्पॅटिबल,समझदार,वेल सेटलड होना चाहिए।

नाम: तबस्सुम रमजान गैबान
जन्मतारीख: १६/०८/१९९६
रंग: गोरा , उंची: ५ फूट १ इंच
मॅरीटल स्टेटस: कुवाँरी
पढाई : १० वी
बाप का नाम : रमजान हसन गैबान
काम: बेकरी
माँ का नाम: शबाना रमजान गैबान
भाई: १, बहन : १
पता: कॉग्रेस कमिटी के पीछे, बावणे गल्ली, इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर
मो: ७०६६९८९७३८
९३०९५०००९४
रिश्तेदार: गैबान, मुल्ला, मुजावर, शेख,सय्यद

नाम: आसमा अल्ताफ मुल्ला

जन्मतारीख: ०६/११/१९९०

पढाई: एम.ए, डी.एड, बी.एड, (मराठी)

उंची: ५ फूट ५ इंच , रंग: गोरा

बाप का नाम: अल्ताफ मुल्ला

माँ का नाम: मुमताज अल्ताफ मुल्ला (रिटायर्ड टीचर)

भाई: १ , असिफ मुल्ला (इंजिनिअर)

पता: मु.पो. माशाअल्लाह बंगला, हरी स्टेशनरी, अभयनर, सांगली

मो: ९८९०९६०१५१
९०११०१६००६

रिश्तेदार: मुल्ला, मुजावर, शेख, मकानदार, पठाण, जमादार

नाम: आयेशा अकबर मोमिन

मॅरीटल स्टेटस: तलाकशुदा

जन्म तारीख: २२/०४/१९९४

उंची: ४ फूट १० इंच, रंग : गोरा

पढाई: एम.ए

बाप का नाम: अकबर युसूफ मोमिन

माँ का नाम: अमीना अकबर मोमिन

भाई: १ आदिल अकबर मोमिन

पत्ता: भाळवणी , जि. सांगली

(३ साल की लडकी)

मो: ९७६७१०११९२

(तलाकशुदा)

नाम: इस्माइल अयुब नदाफ

जन्मतारीख: ०१/०७/१९८७

पढाई: १० वी पास (उर्दू)

काम: फरशी कॉन्ट्रॅक्टर

उंची: ५ फूट ८ इंच , रंग: मिडीयम

बाप का नाम: अयुब कासीम नदाफ

माँ का नाम: हुशेनमा अयुब नदाफ

बहन: आयेशा अमानुल्ला नदाफ (शादीशुदा)

पता: महावीर नगर, सांगली

मो:९९६०८०१५८६

४ महिने वक्त लगा है।

नाम: बालेचाँद दस्तगीर बागवान

मॅरीटल स्टेटस: तलाकशुदा

जन्म तारीख: ०२/०४/१९८५

उंची: ५ फूट २ इंच, रंग : गोरा

पढाई: १२ वी (फूट वेअर, ॲपे रिक्षा)

बाप का नाम: दस्तगीर बागवान

भाई: २ (शादीशुदा)

पत्ता: कुरूंदवाड,ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर

मो: ८६००८८७१२२

नाम: युनूस महमंद नदाफ

जन्मतारीख: १६/०१/१९९८

पढाई: बी.ए

काम: कन्स्ट्रक्शन बिझनेस

उंची: ६ फूट , रंग: सावला

बाप का नाम: महमंद नदाफ

बहन: ३ बहन,१ शादीशुदा, २ कुवाँरी

पता: गल्ली नं १, हनुमाननगर, सांगली

मो: ९९६०८०१५८६

नाम: आसिफ बशीर मुल्ला

मॅरीटल स्टेटस: कुवाँरा

जन्म तारीख: ०८/०५/१९९९

उंची: ५ फूट ५ इंच, रंग : गोरा

पढाई: १२ वी (होलसेल चिकन सेंटर)

बाप का नाम: बशीर गफूर मुल्ला

माँ का नाम: अफ्साना बशीर मुल्ला

भाई: १

पत्ता: भाळवणी , जि. सांगली

मो: ७३८५६००८८१

मुस्तफा मॅरेज ब्युरो

अच्छे और बेहतरीन रिश्तो के लिए
इस नंबरपर राब्ता करे।
मो: ७८४१९३७३९३
बायोडेटा रजिस्ट्रेशन फी २५०